दिसम्बर : 1977

कुरुक्षेत्र

मूल्य : 50 पैसे

ग्रामीण किशोर खिलाड़ी बनें

आजकल खेलकूद मात्र स्वास्थ्य वर्धन या मनोरंजन का साधन न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सिर्फ खेल के मैदान में ही छोटे देश बड़े देशों से होड़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्यूबा के घूंसेबाज, केन्या के एथलीट, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्वी जर्मनी की महिला तैराक और इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी बड़े-बड़े देशों के खिलाड़ियों को नीचा दिखा सकते हैं।

हमारा देश अत्यन्त विशाल है। अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी हमारी बहुत प्रतिष्ठा है। किन्तु अधिकांश खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। विश्व स्तर की बात छोड़िए एशियाई स्तर पर भी हम फुटबाल, तैराकी आदि में पिछड़े हुए हैं।

देश में खेलों का स्तर नीचा होने के विभिन्न कारणों में से एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहां खेल मुख्यतः बड़े शहरों तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक भारत गांवों में बसता है। गांवों तक खेल कूद को पहुंचाने के लिए कुछ वर्षों से प्रयास अवश्य हुए हैं, किन्तु उन्हें सतही कहना ही अधिक उपयुक्त होगा जैसा कि हाल में दिल्ली के माडल टाउन स्टेडियम में हुए दिल्ली के ग्रामीण खेलों और नेशनल स्टेडियम में हुए आठवें अखिल भारतीय ग्रामीण खेलों से स्पष्ट है। इन प्रतियोगिताओं से एक बात यह साफ नजर आई कि भले ही नाम के लिए ये ग्रामीण खेल थे, लेकिन इनमें भाग लेने वाले लड़के-लड़कियां स्पष्टतः उन स्कूलों या क्षेत्रों के थे जो शहरी प्रभाव में थे। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसे बदलना होगा।

देश में खेलों का स्तर तभी उठ सकता है, जब हमारे ग्रामीण किशोरों को भी इनमें हिस्सा लेने का अवसर और सुविधा प्राप्त हो। यह कहा जा सकता है कि हमारी आधी ग्रामीण जनता अत्यन्त गरीबी की हालत में गुजारा कर रही है, तब खेलों की बात करना कहां तक उचित है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य समन्वित ग्राम विकास है, तो जहां तक संभव हो सके वहां कुश्ती जैसे परम्परागत खेल के साथ-साथ वालीबाल और बास्केटबाल जैसे आधुनिक और सस्ते खेलों को ग्रामीण किशोरों तक अवश्य पहुंचाया जाना चाहिए। यह एक कटु सत्य है कि जब तक ग्रामीण किशोर को खेल और उसके प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक देश में न तो खेलों की जड़ें ही गहरी होंगी और न ही स्तर ऊंचा होगा।

ग्रामीण किशोरों के पास स्वास्थ्य भी है और हौसला भी। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें सुविधा प्रदान करने की। अब जब ग्रामों और ग्रामवासियों को उनका प्राप्य दिलाने का बीड़ा उठा लिया गया है, तो ग्रामीण किशोर ही खेलों से क्यों वंचित रहे। खेलों में देश का नाम तभी रोशन होगा, जब ग्रामीण किशोर खिलाड़ी बनेंगे। ●

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फ़ोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफ़ाफ़ा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनाने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चंदा 5.00 रुपये

सम्पादक : **देवेन्द्र भारद्वाज**

उपसम्पादक : **पारसनाथ तिवारी**

आवरण पृष्ठ : **आर० सारंगन**

कुरुक्षेत्र

वर्ष 23 **अग्रहायण,** 1899 **अंक** 2

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न — 2
गंगाधर इंदूरकर

खेती और ग्रामोद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता — 5
मोरारजी देसाई

गरीबी हटे रोजगार बढ़े — 6
सुरजीत सिंह बरनाला

प्रतिदान नहीं है कोई (कविता) — 6
सुमन्त

सिमरिया गांव के पुरुषार्थी हरिजन किसान — 7
नया सवेरा (कविता) — 7
राजमणि चतुर्वेदी 'राजेश'

उत्तर प्रदेश के बढ़ते चरण — 8
पारसनाथ तिवारी

गांवों की खुशहाली का आधार बिजली — 10
नवीन चन्द्र पंत

नीम एक बहु उपयोगी वृक्ष — 13
किसानों की ऋण सम्बन्धी समस्याएं और उनका समाधान — 15
मो० कमरूल होदा

प्रायश्चित्त (कहानी) — 17
रमेश रंजन त्रिपाठी

बागों में फूल झरे (कविता) — 20
पूरन सरमा

छोटे किसानों की मदद के लिए योजनाएं — 21
आर० श्रीनिवासन

हथकरघा उद्योग: विकास की नई सम्भावनाएं — 26
आर० बी० एल० गर्ग

आठवीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता — 28
वीरेन्द्र शुक्ल

आदिवासियों की तरक्की में जुटी दंतेवाड़ा आदिवासी विकास एजेन्सी — 32
नया साहित्य — आवरण III

प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न

प्रौढ़ शिक्षा के महत्व की चर्चा करना व्यर्थ है। लोकतंत्र की सफलता की वह एक आवश्यक सीढ़ी है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री काकासाहब गाडगिल ने अपनी एक मराठी पुस्तक में लिखा है कि जब तक 'ज्ञानबा' सुबुद्ध नहीं होता तब तक लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती। 'ज्ञानबा' से उनका तात्पर्य था ग्रामीण निरक्षर व्यक्ति से।

मर्ज बढ़ता गया

भारत जब से स्वतंत्र हुआ, इस समस्या की ओर ध्यान बराबर दिया जाता रहा है। प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में कुछ प्रयत्न भी हुए। पर देश की कुछ अन्य समस्याओं की तरह इस समस्या का रूप भी ऐसा ही रहा है कि 'मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की'। जनता सरकार ने भी इस प्रश्न को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब यानी 1947 में देश में साक्षरता केवल 14 प्रतिशत थी। पर 1971 की जनगणना के अनुसार वह 33.85 प्रतिशत हुई। इसमें 4 वर्ष तक के बच्चों का समावेश नहीं है। पर आबादी में वृद्धि के कारण और उसके अनुपात में प्रयत्न न हो सकने के कारण 1951 में देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या जो 24 करोड़ 70 लाख थी, वह 1971 में 30 करोड़ 90 लाख हो गई। 1971 में 14 वर्ष के ऊपर के निरक्षर लोगों की संख्या 21 करोड़ 17 लाख थी और उनमें भी 15 से 35 वर्ष के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ आंकी गई। कम से कम इस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाना आवश्यक है। पर उसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेने की आवश्यकता होगी। इसमें भी अनुसूचित और जनजातियों तथा महिला वर्ग की ओर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समूह में निरक्षरता खासकर केंद्रित हुई है। उनकी ओर ध्यान देने से ही उसमें कुछ कमी आ सकती है।

पर इस प्रकार का कोई आयोजन करने के पहले उसके हर पहलू पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता तो होगी ही। इस प्रकार के आयोजन में बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता तो अनिवार्य है। पर उससे भी अधिक महत्व की बात होगी वे साधन, जिनके माध्यम से देश पर छाया निरक्षरता का अभिशाप हम दूर करना चाहते हैं। स्वभावतः इसके मुख्य साधन होंगे—गांवों में जाकर

गंगाधर इंदूरकर

काम करने के लिए प्रस्तुत अध्यापक, छुट्टियों में स्वेच्छा से इस काम को अपनाने वाले विद्यार्थी और कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं। इनमें अपने स्वीकृत काम के प्रति जिनकी जितनी आस्था होगी, उतना ही यह काम सफल हो सकेगा। बात कुछ अटपटी लग सकती है पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कार्य के लिए हमें भारतीय संस्कृति की एक पुरानी भावना जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्यादान यह प्रत्येक साक्षर का धर्म है। 'कम से कम पांच व्यक्तियों को वास्तविक अर्थों में साक्षर करना मेरा काम है। उसके बिना धार्मिक दृष्टि से भी मेरा जीवन सफल नहीं है।' यह है वह भावना। भारत को कोई चाहे कितना ही पिछड़ा कहे, भारतीय विचार धारा में विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। यह भी कहा गया है कि और दान में वस्तु कम होती है पर विद्यादान में वह कम होने के बजाय और बढ़ती है। भारतीय सामूहिक प्रचार माध्यमों ने अच्छी-बुरी बहुत सी बातें प्रसारित की हैं। पर विद्यादान यह प्रत्येक साक्षर व्यक्ति का धर्म है, इसका प्रचार यदि वह कर सके और उसमें यदि उसको थोड़ी भी सफलता मिले तो साक्षरता का प्रसार काफी तेज से हो सकता है।

लगन है तो सब कुछ संभव है

शिक्षा के लिए आयु का कोई बंधन नहीं

विद्यार्थियों का सहयोग

शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में खर्च के जो अनुमान लगाए हैं, वे बहुत ही प्रारम्भिक हैं। यदि यह योजना 1978-79 से प्रारम्भ हो तो पहले वर्ष 20 लाख, दूसरे वर्ष 40 लाख और तीसरे वर्ष एक करोड़ रुपया खर्च होगा और तीन वर्ष में मिलाकर अनुमानतः 8 लाख अध्यापक इस काम में लगेंगे। इसके अलावा भी इस शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया गया है और वह प्रति-वर्ष प्रति कक्षा 660 रुपये के आसपास है। अनुमान लगाया गया है कि यदि अध्यापक पर होने वाला खर्च इसमें शामिल न किया जाए तो एक वर्ष में प्रति व्यक्ति साक्षरता का खर्च केवल 30 रुपया होगा। अध्यापक को 10 मास 30 या 50 रुपया दिया जाए ऐसा भी एक सुझाव है। यह स्वीकार करने पर भी प्रति व्यक्ति साक्षरता खर्च 48 या 58 रुपये से अधिक नहीं होगा। अनुमान है कि इस आयोजन से साल में लगभग 4 लाख लोग साक्षर हो सकेंगे। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों का भी इस दिशा में सहयोग लिया जाता है और लिया भी जाना चाहिए। विद्यार्थियों के सहयोग पर आधारित योजना में तीन वर्ष में 70 लाख व्यक्ति साक्षर किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप तो कुछ दिया जाए। पर इसका खर्च पहली योजना की तुलना में काफी कम होगा।

नेशनल वालंटियर सर्विस

इसी प्रकार इस आयोजन को सफल बनाने की नेशनल वालंटियर सर्विस की भी एक योजना है। इसमें प्रति स्वयंसेवक 3000 रु० प्रति वर्ष का खर्च है। स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं का भी काफी उपयोग इस दिशा में हो सकता है। पर उसके लिए आवश्यक है कि पिछले दिनों फैली यह एक भावना कि सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, संपूर्णरूप से नष्ट की जाए। उसी प्रकार वास्तव मे जो स्वयंसेवी संस्थाएं अच्छा काम करती हैं, उन्हें सरकार उनके कार्य में अनुदान दे या न दे, पर छोटे स्तर पर उनके काम में तरह-तरह के जो रोड़े अटकाए जाते है, वे कम से कम बंद किए जाएं। सरकार के लिए यह एक विचार की बात है कि ब्रिटिश काल में भी इस देश में निःस्वार्थ रूप से काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का जो जाल फैला था, वह स्वाधीनता के बाद सिकुड़ क्यों गया। स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं का स्थान केवल नफा कमाने के उद्देश्य से स्थापित व्यापारिक संस्थाओं ने

क्यों ले लिया है ?

शिक्षा की भूख

प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से एक और बात इन सभी बातों से अधिक महत्व की है। जो बात गरीबी के उन्मूलन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। एक अच्छे विचारक तथा राजनीतिक नेता ने एक बार कहा था कि गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए अन्य प्रकार की मदद करना तो आवश्यक है, पर उससे भी अधिक उनमें यह भावना जगाने की आवश्यकता है कि मेरी गरीबी दूर होनी चाहिए और उसके लिए कोई मदद दे या न दे मैं स्वयं अथक प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार भूख लगने पर उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य हर प्रकार का प्रयत्न करता है, कभी भले या बुरे, उसी प्रकार भारत सरकार के प्रचार माध्यम देश के जनसाधारण की, जिन्हें आज निरक्षर कहा जाता है, मन की भूख जगाने में यदि सफल हों तो सारा देश साक्षर होने में देर नहीं लगेगी। पर प्रयत्न किस प्रकार होता है, किस भावना से होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

विशेष सावधानी

प्रचार माध्यमों को सफलता भी मिलती है। पिछली सरकार के कार्यकाल में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम अपनाया गया था, वह सफलता के रास्ते की ओर बढ़ रहा था। 'दो या तीन बस', 'एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं,' 'छोटा परिवार, सुखी परिवार', ये घोषणाएं केवल लोकप्रिय ही नहीं हुई थीं, उस प्रकार का जीवन ढालने की ओर सर्वसाधारण का झुकाव भी प्रारम्भ हो गया था। पर आपातकाल ने सारी ही व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दिया। जबरन नसबन्दी से परिवार नियोजन की योजना दस-बीस वर्ष पीछे चली गई। प्रौढ़ शिक्षा के मामले में उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, इस की विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारा भला साक्षर होने में है, यह भावना जगाना मुख्य काम है। हजार दो हजार शिक्षक कम हो जाएं उससे इस योजना की सफलता पर उतना असर नहीं पड़ेगा, जितना साक्षरता में हमारा व्यक्तिगत हित है यह भावना जनसाधारण में निर्माण न होने का।

डी-28, गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049

सर्वाधिक शिक्षितों का गांव चूड़ी चतरपुर

झुन्झुनूं जिले का चूड़ी चतरपुर गांव जिले के सर्वाधिक शिक्षितों का गांव ही नहीं वरन क्षेत्र के प्राचीनतम बसे गांवों में से भी एक है।

इस ग्राम का वर्तमान नामकरण संवत 1101 में होना बताया जाता है, जबकि इससे काफी समय पहले ही यह गांव बस चुका था।

गांव के नाम के साथ 'चूड़ी' शब्द जोड़े जाने के बारे में एक दंतकथा प्रचलित है। कहा जाता है कि गांव के समीप कभी जोधा और चौधरी नाम के दो जाट हुआ करते थे। एक बार जब चौधरी जाट की पत्नी पनघट से पानी भरकर लाई तो गोद में बच्चा होने के कारण उसने अपने पति से घड़े को उतरवाने का अनुरोध किया। चौधरी ने इसे अपनी शान के विपरीत बात समझ कर ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस पर जोधा जाट ने उस महिला का घड़ा उतरवा दिया। इससे क्रुद्ध होकर चौधरी द्वारा अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया गया। तब जोधा उस महिला के साथ चतरपुर गांव में आ बसा और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए उसे चूड़ी पहना दी। तभी से गांव के साथ चूड़ी शब्द जुड़ गया।

कोई 5 हजार की आबादी वाले इस गांव में बिजली, पीने का पानी, डाकघर, प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कन्या पाठशाला जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नेमाणीजी की हवेली

चूड़ी चतरपुर में स्थित नेमाणीजी की हवेली अपनी कलात्मकता और बनावट की दृष्टि से दर्शनीय है। हवेली के शिवालय की संगमरमर से बनी छतरी में श्रीकृष्ण की रासलीलाएं बड़ी सुन्दरता से उकेरी गई हैं। हवेली के पार्श्व में 2 हजार वर्ष पुराना एक खेजड़े का पेड़ भी खड़ा है जिसके समीप ही कुलहरी जाटों की कुलदेवी 'पाढ़ामाता' प्रतिष्ठित की हुई हैं। हवेली में एक ऐसा दर्पण भी है जिसमें मुखाकृति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है।

ग्राम के बालाजी मंदिर में संवत 1948 में चढ़ाया गया एक घण्टा आगन्तुकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

विद्या दान प्रत्येक साक्षर का धर्म है। विद्यादान से विद्या बढ़ती है।

खेती और ग्रामोद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता

—मोरारजी देसाई—

[प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 13 नवम्बर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय कृषि प्रदर्शनी 77 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कृषि और ग्रामोद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सरकार के निश्चय को दुहराया, ताकि हमारा देश अपनी महान संस्कृति के अनुरूप प्रगति कर सके और लोगों का जीवन सभी ढंग से समृद्ध हो। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं।]

हमारे देश का अतीत गौरवशाली है। कभी यहां दूध-दही की नदियां बहा करती थीं। खेतीबाड़ी यहां का बहुत समृद्ध और सफल धंधा था। पशुपालन और कुटीर उद्योगों को भी बहुत महत्व दिया जाता था, किन्तु आगे चलकर विदेशी प्रभुत्व और आन्तरिक झगड़ों के कारण हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति का ह्रास होने लगा। अब हम फिर संभले हैं।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे सम्पूर्ण जीवन का आधार है। एक बार सरदार पटेल ने किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, 'मैं एक ही कल्चर जानता हूं, वह है एग्रीकल्चर'। सरदार पटेल ने एक ही वाक्य में सब कुछ स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हमारी समस्त संस्कृति कृषि पर आधारित है। विश्व को समृद्ध करने वाली अनेक चीजें धरती से उपजी हैं और इसीलिए हमारे देश के विकास में किसान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि आज भी हमारे अधिकांश किसान, खासकर छोटे किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वे काफी सुसंस्कृत हैं। मेरे विचार में वे ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इसीलिए मैंने अपने देश की महान संस्कृति के अनुरूप खेती, खेती पर आधारित उद्योगों और कुटीर उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है।

इसका यह अर्थ नहीं कि हम भारी या मझोले उद्योगों की उपेक्षा कर रहे हैं। उनकी अपनी भूमिका है। साथ ही उनकी खेती के लिए भी जरूरत है, लेकिन अगर खेती न हो तो उनमें से अनेक खत्म हो जाएंगे क्योंकि वे खेती की उपज पर निर्भर करते हैं। जब तक खेती का विकास नहीं होता, पैदावार नहीं बढ़ती, उत्पादकता नहीं बढ़ती, देश में समृद्धि की बात करना व्यर्थ है। अन्य देशों की बात भले ही अलग हो, लेकिन हमारे देश की ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता नहीं। लेकिन आज शहरी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता पर छाने और उसे नष्ट करने में लगी प्रतीत होती है। हम इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की समृद्धि हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध होते हैं, तो शहरी क्षेत्र भी समृद्ध होंगे। लेकिन अगर सिर्फ शहरी क्षेत्रों को प्राधान्य मिले तो ग्रामीण क्षेत्र हर तरह से निर्धन होते जाएंगे। यही कारण है कि यह प्रदर्शनी इतनी महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि अनेक लोग इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएंगे और इससे जानकारी प्राप्त करेंगे तथा विकास कार्य में मदद करने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे।

हमारे पास सभी प्रकार के प्राकृतिक साधन हैं। हमें उनका सदुपयोग करना है। हम अपने साधनों के सदुपयोग से अपनी खेती की पैदावार को तीन गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्रदर्शनी में सभी प्रकार की कृषि प्रक्रियाओं और गति-विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। हम कैसे अनाज पैदा कर रहे हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, खेती की उपज का कैसे उपयोग किया जाता है और उद्योग कैसे इस पर निर्भर रहते हैं तथा कैसे उद्योग खेती को लाभ पहुंचाते हैं आदि। इस प्रदर्शनी में खादी और अन्य कुटीर उद्योगों के महत्व को भी दर्शाया गया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार कर सकते हैं। ये सब बातें प्रदर्शनी में भली-भांति दिखाई गई हैं।

मेरा सुझाव है इस प्रदर्शनी की अनेक चीजें प्रत्येक राज्य में स्थायी प्रदर्शन के लिए रखी जाएं ताकि लोग उन्हें बराबर देखते रहें। जो नई चीजें हों वे इनमें शामिल कर ली जाएं। वस्तुतः मेरे विचार में देश में एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जिसमें कला, संस्कृति, कृषि, संगीत, विज्ञान, प्राचीन स्मारक आदि से संबंधित सभी राज्यों की सर्वोत्तम चीजें प्रदर्शित हों ताकि इस देश की गरिमा की एक स्थान पर झलक मिल सके। तब हम इस देश और इसकी विरासत में वास्तविक गौरव का अनुभव कर सकेंगे।

गरीबी हटे, रोजगार बढ़े

—सुरजीत सिंह बरनाला

केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने 13 नवम्बर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर भाषण करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और जीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है।

आर्थिक विकास की गति तभी सार्थक हो सकती है, जबकि हम गरीबी, पिछड़ापन और कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव पर काबू पा सकें। इस प्रदर्शनी में कृषि, सिंचाई तथा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति को दर्शाया गया है। साथ ही अनुसंधान और तकनीकी विकास, उत्पादन निर्यात की संभावनाओं, भूमि सुधार, सहकारिता तथा ग्राम विकास की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया है।

श्री बरनाला ने कहा कि भारत जैसे महादेश में जन साधारण के रहन-सहन में परिवर्तन लाने का काम एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस काम में सरकारी प्रयासों की सफलता के लिए जन साधारण का योगदान अपेक्षित है। हम इस दिशा में लोगों को न केवल उपलब्धियों से अवगत कराना चाहते हैं बल्कि ग्रामीण भारत में विकास की संभावनाओं से भी उन्हें परिचित कराना चाहते हैं।

नई कृषि नीति के जरिए हम अपने देश की विशाल जनशक्ति और साधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरकार कृषि और ग्राम विकास के कार्यों में गहरी रूचि ले रही है और सिंचाई के साथ इन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार की नजर में जन साधारण की भलाई के लिए कृषि एक बहुत बड़ा साधन है और इसके जरिए आत्मनिर्भरता लाई जा सकती है, गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय और समृद्धि के समान वितरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रदर्शनी में कृषि नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करना तथा समाज के कमजोर वर्गों में आत्मविश्वास जगाना है। छोटे और सीमान्त किसानों के रहन-सहन के स्तर में पर्याप्त सुधार लाते हुए एक उपयुक्त समाज की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है।

मेरी सब लोगों से अपील है कि सभी राज्यों के किसानों को इस मेले में लाकर उन्हें कृषि विकास कार्यक्रमों से परिचित कराया जाए और इस अवसर का लाभ उठाया जाए। गांव के जाने-माने नेताओं को भी इस मेले में यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिए।

प्रतिदान नहीं है कोई

धरती के आंसू पोंछ सको तो पोंछो
उसका प्रतिदान नहीं है जग में कोई।

जो शूरवीर धरती की गोद फले मुस्काए
वे फूल महकने वाले गौरव के कहलाए
जिन्होंने लहू बहाया रख ली लाज धरा की
उनकी गाथा सूरज किरणों में नित गाए

धरती की आग समेट सको तो जागो
उसका प्रतिदान नहीं है जग में कोई।

फल-फूल, अन्न से भरी हुई है धरती
उसकी छाती से अमृत की नित धारा बहती
गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा नदियां
उसकी करुणा की गाथा निशिदिन कहतीं

धरती के शूल मिटा पाओ तो आओ
उसका प्रतिदान नहीं है जग में कोई।

धरती की कोख भरी है हरियाली से
आकाश मेघ बरसाता वनमाली-सा
धन-धान्य पकाकर देती खग-मानव को
है वसुधा से सम्पन्न देश माली-सा

धरती की प्यास बुझा पाओ तो आओ
उसका प्रतिदान नहीं है जग में कोई।

—सुमन्त

सिमरिया गांव के पुरुषार्थी हरिजन किसान

मध्य प्रदेश में सागर से करीब 45 किलोमीटर दूर शाहगढ़ विकास खंड में प्रकृति की गोद में बसा एक गांव है सिमरिया शाहगढ़। तीन ओर हरी भरी पहाड़ियां और सामने कलकल करती बीला नदी की धारा। मुख्य सड़क से गांव पांच किलोमीटर दूर। आने जाने के लिए टेढ़ा-मेढ़ा कच्चा रास्ता। बरसात में जब बीला उफनती है तो गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। गांव की पहाड़ियों से उतर कर अपार जल राशि नीचे जाकर समा जाती है बीला बांध में और बांध के नीचे के गांवों की हजारों एकड़ जमीन की प्यास बुझती है। लेकिन नदी के पानी से इस गांव को कोई लाभ नहीं।

दिन फिरे

सिमरिया गांव में करीब 60 परिवार बसते हैं, जिनमें से 40 परिवार हरिजनों के हैं। हरिजन परिवारों के लिए सिर्फ एक कुआं और एक रहट था। फसल के नाम पर कोंदों, कुटकी और मोटे अनाज की खेती। काफी बड़े हिस्से में घास की बीड़। कभी यह गांव डाकुओं के आंतक से ग्रस्त था और विकास से कोसों दूर। इस उपेक्षित गांव पर नजर पड़ी सागर के लघु कृषक विकास अभिकरण के अधिकारियों की और घूरे के दिन फिरने, की कहावत चरितार्थ हुई।

यह गांव कुएं खोदने के लिए अच्छा साबित हुआ है। यहां 8-10 मीटर की गहराई पर भरपूर पानी मिला है। एक कुएं से पांच एकड़ में सिंचाई हो सकती है। लघु कृषक विकास अभिकरण ने इस गांव के विकास के लिए एक योजना बनाई। पहले वर्ष ढाई से पांच एकड़ वाले 14 छोटे किसानों को चुना गया, जिनमें 11 हरिजन हैं। प्रत्येक को 5,000 रु० कुएं खोदने और 3,000 रु० बिजली के पंप लगाने के लिए दिया गया। यह काम एकीकृत एजेन्सी की मार्फत कराया गया। किसानों को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ीं। सारी चीजें उनके गांव में ही मुहैया हो गईं। इन छोटे किसानों ने इस काम में सराहनीय सहयोग दिया। पिछले जून माह के अन्त तक इन किसानों ने अपने कुएं सुन्दर ढंग से बांध लिए। बिजली विभाग भी अपने काम में पीछे नहीं रहा। इधर कुएं बंधे और उधर बिजली की लाइनें दौड़ीं। अब पंपों के केबिन बन रहे हैं। पंप कुओं के पास लगा दिए गए हैं। कुछ के पंप चालू भी हो गए हैं। कुओं में पानी इतना है कि पड़ोसी के खेत को भी पानी दिया जा सकता है। हरिजन किसान अपने उसूल के इतने पक्के हैं कि एक किसान कन्छेदी भन्ते के कुएं की खुदाई के समय उसके परिवार के एक बच्चे के कुएं में डूब जाने के बावजूद उसने कुएं का काम बंद नहीं किया। उसे अन्ध विश्वास ने अपने रास्ते से जरा भी नहीं डिगाया। उसे तो अपने परिवार का उज्ज्वल भविष्य मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा था।

फसल चक्र

अभिकरण ने कृषि विस्तार अधिकारी के सहयोग से इन किसानों के लिए फसल चक्र भी बनाया है। अब इन किसानों के खेतों में कोंदों-कुटकी के बदले काली तुअर, मूंगफली, धान और उन्नत ज्वार की फसलें खड़ी हैं। रबी मौसम के लिए उन्नत चना, उन्नत गेहूं और गर्मी के मौसम के लिए सब्जियां बोने का कार्यक्रम बनाया गया है।

इस गांव के हरिजन किसानों ने मेहनत और ईमानदारी से कुएं बांधकर यह साबित कर दिया है कि सही मार्ग-दर्शन और समय पर सहायता मिलने पर वे न केवल अपने परिवार, बल्कि गांव का कायाकल्प कर सकते हैं। आप चाहे कडोरा से मिलें चाहे कन्छेदी भन्ते से, आज उनके चेहरे मुरझाते नहीं हैं। उनके चेहरों पर दमक है, मुस्कान है और आंखों में अपने उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर।

सिमरिया गांव देश के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गया है। यही आशा की जा सकती है कि दूसरे ग्रामवासी भी सिमरिया के हिम्मती हरिजन किसानों का अनुकरण करेंगे। ●

नया सवेरा

सच
अब मैं
बहुत खुश हूं
क्योंकि
सामने नीम की डाल पर
बैठी गौरैया का
चहचहाना
बहुत अधिक
भाने लगा है
क्योंकि
अब
मेरे अपने
गांव में
उग आया है
नया सूरज।

—राजमणि चतुर्वेदी 'राजेश'

उत्तर प्रदेश के बढ़ते चरण

पारसनाथ तिवारी

हमारे देश में-उत्तर-प्रदेश –सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां समस्याएं भी उसी अनुपात में अधिक हैं। यही कारण है कि निरन्तर प्रयासों के बावजूद अनेक लोगों की निगाह में यह राज्य विकसित नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 10 करोड़ है यानी सम्पूर्ण देश की कुल आबादी का छठा भाग इस राज्य में निवास करता है। अतः जब तक इस राज्य को पिछड़ेपन की स्थिति से मुक्त नहीं कराया जाता तब तक हमारी सम्पूर्ण प्रगति और उपलब्धि का वास्तविक रूप सामने नहीं आ सकता।

राज्य की 80 प्रतिशत से अधिक जनता गांवों में रहती है। अतः नगरों के सौन्दर्यीकरण के बजाय हमें ग्रामोत्थान के कार्यों को प्राथमिकता देनी है ताकि यह राज्य देश का एक आदर्श राज्य बन सके।

कहने की आवश्यकता नहीं कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में से एक था। किन्तु इसकी दशा उत्तरोत्तर गिरती गई और अन्ततः इसका प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर पड़ा। भारी संख्या में शिक्षित युवक बेरोजगारी के शिकार हुए, कृषि उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले पीछे रहा और अनेक कारीगरों को अपने छोटे उद्यमों को बन्द करके दूसरे रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ा।

वर्तमान सरकार पिछले कुछ महीनों से सुनियोजित ढंग से सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और बेरोजगारी को दूर करने की विषम समस्या से जूझ रही है।

हरिजन बस्तियों को बिजली

राज्य सरकार ने ग्रामीण औद्योगीकरण की ऐसी नीति अपनाने और कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामवासी को उपयुक्त रोजगार देना तथा उसकी आर्थिक दशा सुधारना है। बिजली खेती और उद्योग दोनों के लिए जरूरी है। इस समय उत्तर प्रदेश में 141 ग्रामीण बिजलीकरण योजनाएं चलाई जा रही है। सितम्बर, 1977 तक राज्य में 33,448 गांवों को बिजली मिल चुकी है। हरिजन बस्तियों को बिजली देने की ओर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। सितम्बर, 1977 तक 9,360 हरिजन बस्तियों को बिजली दी जा चुकी है।

उद्योगों का विस्तार

राज्य में 3 ऐसे विशिष्ट उद्योग हैं जिनका काफी विस्तार किया जा सकता है। ये हैं कालीन, हथकरघा और चमड़ा उद्योग। इस समय कालीन उद्योग में बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए 21 केन्द्र काम कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अगले वर्ष तक इन केन्द्रों की संख्या दुगुनी हो जाए। बाद में इन्हें 75 तक करने का लक्ष्य है। हथकरघा उद्योग के विस्तार और बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 8 कताई मिलें स्थापित की गई हैं। सहकारी क्षेत्र में 2 मिलें जल्दी ही स्थापित करने का प्रस्ताव है। चमड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए राज्य में और अधिक चर्मशोधक कारखाने खोलने पर भी विचार किया जा रहा है।

नए नलकूप

राज्य में 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचित है, किन्तु सिर्फ 13 प्रतिशत भूमि को निश्चित सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अन्त... 1300 नए नलकूप बनाए जा रहे हैं। गोमती जलसेतु और सई जलसेतु का निर्माण निर्धारित समय से पहले ही पूरा हो गया है। सई जलसेतु से जून, 1979 तक 4,50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

राज्य को खुशहाली की ओर बढ़ाने के लिए और भी कितने कदम उठाए गए हैं। 3.125 एकड़ तक की जोतों को भू-राजस्व से मुक्त कर दिया गया है। इससे 70 प्रतिशत खातेदारों को लाभ होगा। बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई के लिए 9 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रत्येक विकास खंड

में सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने का लक्ष्य रखा गया है। खेत मजदूरों, सीमान्त किसानों और ग्रामीण दस्तकारों को दिए गए ऋणों की वसूली स्थगित कर दी गई है। सिंचाई के लिए गांवों में बिजली की रात-दिन सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है।

अन्य कदम

जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर और बिजनौर में नई डेरियां चालू की गई हैं। निकट भविष्य में आजमगढ़, फर्रुखाबाद और जालौन में नई डेरियां स्थापित की जाएंगी। वाराणसी और मेरठ में एक लाख लीटर क्षमता की दो नई डेरियां चालू की जाएंगी।

आने वाले 3 वर्षों में राज्य के सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों के 80 गांवों में पेय-जल सुलभ कर दिया गया है, जिससे 15,000 लोगों को लाभ हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 72 ग्रामीण पेय-जल योजनाएं, 12 शहरी पेय जल योजनाएं और दो जल-निकासी योजनाएं चालू की गई हैं।

कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास की जरूरतों पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में आवास विकास निगम (हुडको) की आठ योजनाओं के अन्तर्गत 2 करोड़ 96 लाख 30 हजार रु० की लागत से लगभग 1600 मकान बनाए जा चुके हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक मकान आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वाले वर्गों के लिए हैं। इनमें से 675 मकान आगरा में, 575 मकान लखनऊ में, 276 मकान वाराणसी में तथा 56 मकान रायबरेली में बनाए गए हैं।

आरक्षण

अनुसूचित वर्ग के लोगों का सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। अब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में 18 प्रतिशत और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में क्रमशः 25 और 30 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों में 15 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पहले कोई आरक्षण नहीं था।

राज्य सरकार ने निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभाने का बीड़ा उठाया है। वह उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन कोई भी महान कार्य अपेक्षित जन सहयोग के बिना पूरा नहीं होता। यही आशा की जा सकती है कि राज्य सरकार को अपना महान लक्ष्य पूरा करने में जनता के प्रत्येक वर्ग का सहयोग मिलेगा।

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योगों की प्रगति

राजस्थान में खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास और प्रसार के लिए अप्रैल, 1955 में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। तब से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत खादी और ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

राज्य में खादी की 116 पंजीकृत संस्थाएं और ग्रामोद्योगों की 1535 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। राज्य में खादी का उत्पादन गत बीस वर्षों में 9 गुना से अधिक बढ़ा है। 1957-58 में खादी का कुल उत्पादन 71 लाख 62 हजार रुपए से बढ़ कर अब 6 करोड़ 51 लाख 61 हजार रुपए का हो गया है।

ऊनी खादी का उत्पादन राज्य में गत बीस वर्षों में 64 गुना बढ़ा है। 8 लाख 61 हजार रुपए से बढ़ कर इसका उत्पादन अब 5 करोड़ 50 लाख रुपए का हो गया है।

राज्य में ग्रामोद्योगों का उत्पादन लगभग 14 गुना बढ़ गया। 1957-58 में ग्रामोद्योगों का उत्पादन 47 लाख 86 हजार रुपए था, जो अब बढ़ कर 6 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपए का हो गया है।

राज्य में खादी की बिक्री 1957-58 में 35 लाख 87 हजार रुपए से बढ़ कर अब प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री 1957-58 में 45 लाख रुपए से बढ़ कर अब 6 करोड़ 18 लाख 15 हजार रुपए तक पहुंच गई है।

राज्य में 1957-58 में खादी उद्योग में केवल 16 हजार लोगों को ही पूर्ण व आंशिक रोजगार प्राप्त था, लेकिन अब खादी उद्योग में लगभग एक लाख व्यक्ति पूर्ण अथवा आंशिक रोजगार में लगे हुए हैं।

ग्रामोद्योगों में पूर्ण और आंशिक रोजगार 1957-58 में पांच हजार से बढ़ कर अब लगभग 31 हजार तक पहुंच गया है।

गांवों की खुशहाली का आधार बिजली

—नवीन चन्द्र पंत—

[आज देश के करीब 2 लाख गांवों में बिजली है। 29 लाख पम्प सेट बिजली से चलते हैं। पंजाब और हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जबकि तमिलनाडु और केरल में भी यह लक्ष्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है। गांवों में बिजली पहुंचाने की दिशा में अब तक कितना बड़ा काम हुआ है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब देश आजाद हुआ था तो सिर्फ 1500 गांवों में बिजली थी और सिर्फ 6,400 पम्प सेट बिजली से चलते थे। अभी तक गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य संतोषजनक रहा है, किन्तु विश्व के विकसित देशों की बराबरी में आने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है।]

हमारे देश में बिजली का उपयोग शुरू हुए अभी सौ वर्ष भी नहीं हुए हैं। भारत के पहले बिजलीघर का निर्माण उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में दार्जिलिंग के पास हुआ था। यह एक छोटा पनबिजलीघर था। 1902 में 4,500 किलोवाट क्षमता का शिवसमुद्रम बिजलीघर तैयार हुआ, जो सरकारी क्षेत्र का पहला बड़ा बिजलीघर था। इसके बाद धीरे-धीरे देश के बड़े नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निजी कम्पनियों द्वारा छोटे-छोटे बिजलीघर स्थापित किए गए। 1915 तक देश में 105 मेगावाट क्षमता के बिजलीघरों का निर्माण हो चुका था। 1939 तक देश में 1,200 मेगावाट क्षमता के और 1947 तक 1,900 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर चालू हो चुके थे। लेकिन इन में से अधिकांश बिजलीघर या तो शहरी क्षेत्रों में थे या चीनी मिलों या अन्य ऐसे ही उद्योगों के साथ जुड़े थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक देश का अधिकांश बिजली उत्पादन निजी कम्पनियों के हाथों में था।

स्वतंत्रता के समय

1947 में स्वतंत्रता के समय तक देश के देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था। सम्पूर्ण देश में केवल 1,500 गांव ऐसे थे, जहां बिजली थी। सिंचाई के लिए देश भर में सिर्फ 6,400 पम्पिंग सेट काम में लाए जाते थे।

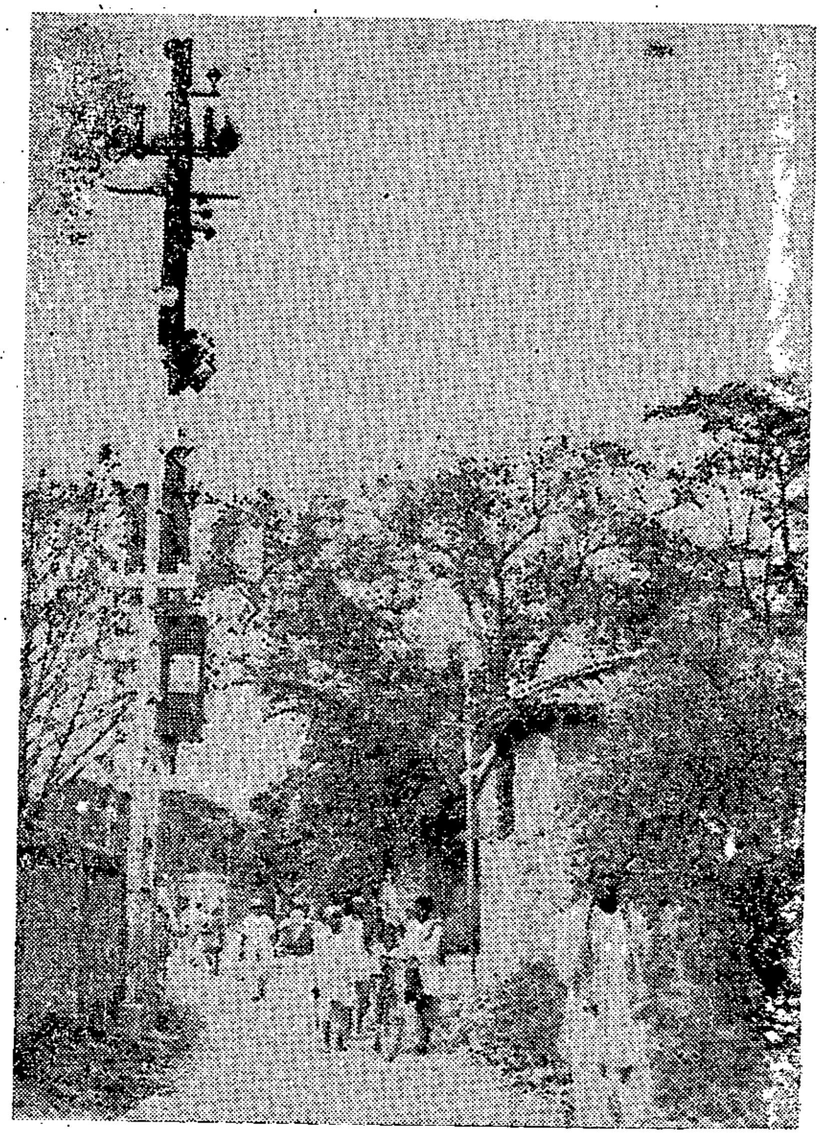

दूर दराज के गांव भी बिजली से जगमगा रहे हैं

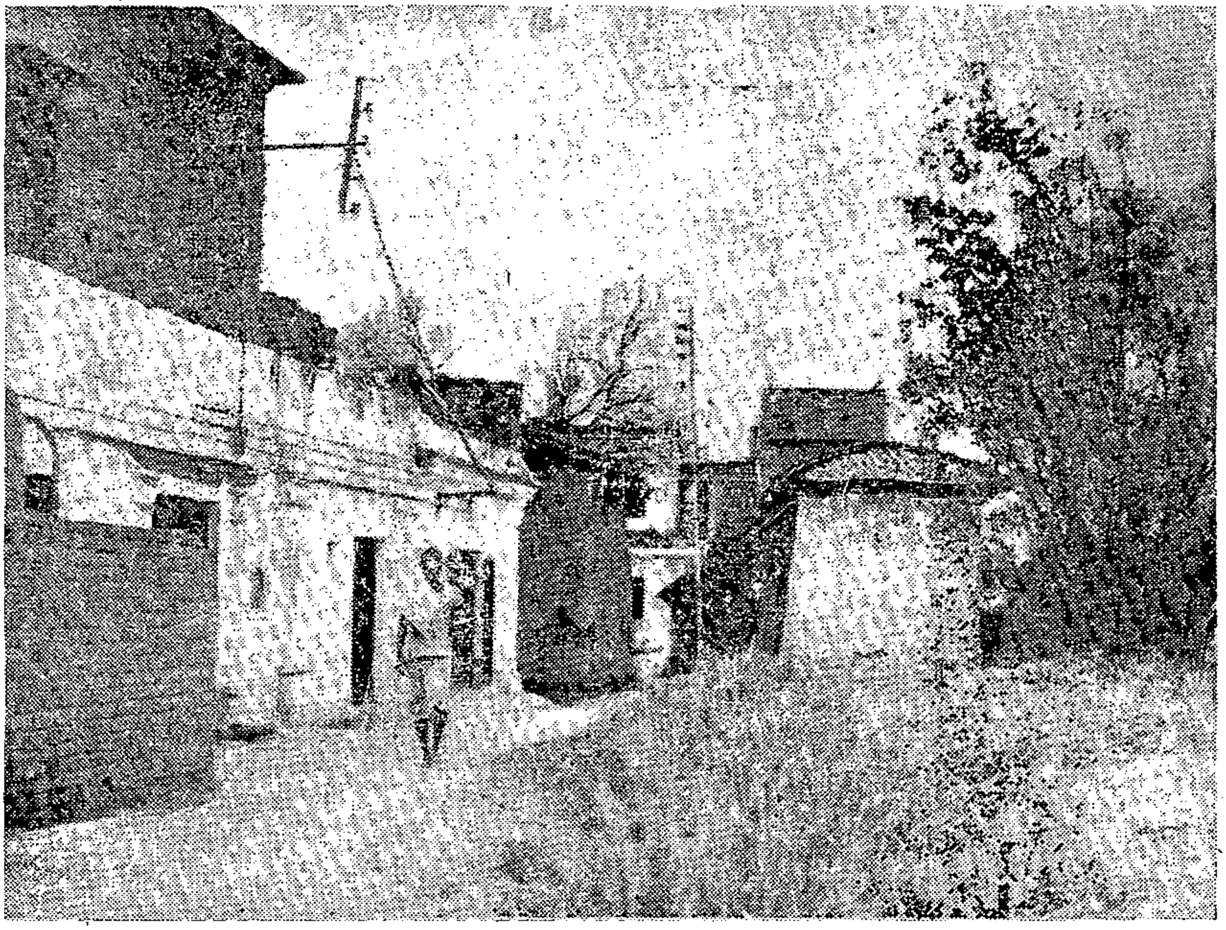

बिजली आई है अब खुशहाली भी आएगी

स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में बिजली के महत्व को काफी पहले समझ लिया था। 1940 में राष्ट्रीय योजना कमेटी ने परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली सप्लाई उद्योग के पुन-निर्धारण तथा पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसलिए आजादी के बाद 1948 में सरकार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिजली आपूर्ति अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर स्वायत्त निगमों के रूप में राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना और केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय बिजली प्राधिकरणों की व्यवस्था की गई।

सरकारी क्षेत्र

सरकार समझती थी कि विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए बिजली उद्योग का भरपूर विकास आवश्यक है। सरकार यह भी महसूस करती थी कि जब तक देहातों में बिजली नहीं पहुंचाई जाती यह कार्य असम्भव है, क्योंकि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई। सरकार यह भी अनुभव करती थी कि छोटे गांवों को बिजली पहुंचाने के कार्य के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और शायद उस पूंजी पर पर्याप्त मुनाफा नहीं मिलेगा। अतः इस बात की पूरी संभावना थी कि निजी कम्पनियां इस काम को लाभदायक न समझें और इसमें कोई दिलचस्पी न लें। क्योंकि सरकार बिजली उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहती थी और इस कार्य में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करना चाहती थी, अतः बिजली उद्योग का सरकारी क्षेत्र में विकास करने का निश्चय किया गया। इसके लिए राज्यों में स्वायत्त शासी निगम बनाने और उनकी वित्त व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया गया। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई और बिजली उद्योग का विकास सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया गया। फलस्वरूप, 1956 के बाद देश में बिजली उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है।

1966 तक देश के 15 राज्यों में बिजली बोर्डों की स्थापना की जा चुकी थी। नए बिजलीघर बनाने, पारेषण लाइनें बिछाने और पुराने बिजलीघरों को विस्तार के लिए अपने अधिकार में लेने का कार्य बिजली बोर्डों ने तेजी से शुरू किया। 1947 में बिजली उत्पादन का 73.7 प्रतिशत निजी कम्पनियों के हाथ में था, किन्तु 1975

में यह प्रतिशत घटकर केवल 14.8 रह गया।

दुगना उत्पादन

प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश में 23 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता था। पहली योजना के अन्त में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़कर 34 लाख 20 हजार किलोवाट, दूसरी योजना के अन्त में 56 लाख 50 हजार किलोवाट और तीसरी योजना के अन्त में 1 करोड़ 1 लाख 70 हजार किलोवाट हो गई। पिछले दस वर्षों में बिजली उत्पादन में दूने से अधिक वृद्धि हुई है।

1976-77 के दौरान देश में 8918.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो 1975-76 से 11.7 प्रतिशत अधिक था। 1951 में पारेषण और वितरण लाइनों की कुल लम्बाई 30,000 सर्किट किलो मीटर थी, जो अब 15 लाख सर्किट कि॰मी॰ से अधिक है।

बिजली उत्पादन किसी भी देश की समृद्धि और खुशहाली का विश्वसनीय सूचक है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद देश में बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ा है, फिर भी विश्व के विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बहुत ही कम है। हाल में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार जहां अमरीका, ब्रिटेन और रूस में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्रमशः लगभग 8,000, 4,000 और 3,000 किलोवाट घंटे है, वहां भारत में अभी भी यह लगभग 100 किलोवाट घंटे है। इस दृष्टि से हम बिजली उत्पादन में अभी बहुत पीछे हैं।

ग्राम विद्युतीकरण निगम

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्राम ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार जुलाई, 1969 में एक अरब रु॰ की पूंजी से ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। निगम का उद्देश्य ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए रियायती दरों और शर्तों पर ऋण देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समग्र ग्राम विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन किए गए प्रयत्नों और विद्युतीकरण निगम के योगदान के परिणामस्वरूप फरवरी, 1977 तक देश के 1,98,731 गांवों को बिजली दी जा चुकी थी और सिंचाई के लिए 29 लाख पम्प सेट/ट्यूब वेल उर्जित किए जा चुके थे।

सभी गांवों में बिजली

अब तक हरियाणा और पंजाब तथा संघ क्षेत्र दिल्ली, चण्डीगढ़ और पांडिचेरि के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु के 98.6 प्रतिशत और केरल के 95.2 प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है। आशा है कि ये दोनों राज्य भी पांचवीं योजना अवधि के दौरान सभी गांवों को बिजली से जगमगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। देश के 13 राज्यों ने 1994-95 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

660 करोड़ रु॰ का ऋण

ग्राम विद्युतीकरण निगम 10 मार्च, 1977 तक 659.43 करोड़ रु॰ का ऋण सहायता के रूप में दे चुका था। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा निगम पिछड़े क्षेत्रों, ग्राम विकास केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम उद्योग क्षेत्रों और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भी ऋण देता है। सरकार देश के देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाकर स्थानीय और कुटीर उद्योगों और कृषि क्षेत्र को न केवल ऊर्जा का सस्ता एवं आधुनिक साधन पहुंचाना चाहती है, बल्कि बिजली के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय पिछड़े इलाकों, हरिजन बस्तियों और सामाजिक सेवा केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई योजनाएं

योजना आयोग ने गुंडलावागु और सथनाला (आंध्र प्रदेश) की दो मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है।

खम्माम जिले में गुंडलावागु परियोजना पर एक करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। इससे प्रतिवर्ष 1,052 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना से तेलंगाना क्षेत्र के आदिवासी इलाके लाभान्वित होंगे।

आदिलाबाद जिले में सथनाला परियोजना पर 3 करोड़ 21 लाख 60 हजार रुपए की लागत आने का अनुमान है। इससे प्रति वर्ष 7,770 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

सुविधा

इस समय देश की लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण जनता को बिजली की सुविधा प्राप्त है। इस संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का एक प्रमुख योगदान पिछड़ी जातियों और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना है।

हमारा लक्ष्य गांव-गांव में बिजली और पंचायतों का जाल बिछाकर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना रहा है। इस दिशा में अब तक की रफ्तार अच्छी है, किन्तु विश्व के विकसित देशों की बराबरी में आने के लिए हमें अभी बहुत काम करना होगा।

नीम

एक बहु उपयोगी वृक्ष

कुदरत ने हमारे देश को जो अनेक नियामतें दी हैं, उनमें से एक है नीम का वृक्ष। शहरों और गांवों में अनेक लोग इसकी टहनियों का प्रयोग दातून बनाकर दांत साफ करने में या इसकी पत्तियों का प्रयोग खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। नीम के तेल का इस्तेमाल मुख्यत: साबुन बनाने में किया जाता है। यह तेल इसके बीजों से निकाला जाता है। नीम का तेल निकालने के बाद बचा पदार्थ नीम की खली कहलाता है और उसके भी अनेक उपयोग हैं।

अनुमान है कि देश में नीम के लगभग 1 करोड़ 38 लाख पेड़ हैं। अगर इनके समस्त बीज एकत्र कर लिए जाएं तो इनका वजन लगभग 4 लाख 18 हजार टन होगा, जिनसे प्रतिवर्ष 33 से 50 करोड़ रु० मूल्य का 83 लाख टन नीम का तेल तथा 14 से 20 करोड़ रु० मूल्य की 3 लाख 30 हजार टन खली प्राप्त की जा सकती है। आजकल इस का बीज बहुत कम इकट्ठा किया जाता है। यह इस समय अधिक से अधिक एक लाख टन इकट्ठा होता है।

खोज

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अखाद्य तेल और साबुन उद्योग निदेशालय पूना में 1969 से नीम की खली और नीम के तेल पर खोज कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नीम की खली का खेती की पैदावार बढ़ाने में तथा इसके तेल का खाद्यान्न और बीजों की कीड़ों से सुरक्षा के लिए प्रयोग करना है। गन्ने और धान की फसलों में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए नीम खली युक्त यूरिआ का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों की सहायता ली जा रही है।

धान की फसलों में नीम की खली युक्त यूरिआ के प्रयोग से न केवल उपज की बढ़ोतरी होगी बल्कि चावल में प्रोटीन की वृद्धि भी होगी। महाराष्ट्र स्थित पाडेगांव गन्ना अनुसंधान केन्द्र में इस प्रयोग के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। यह केन्द्र अडसाली गन्ने के लिए अब तक 400 कि० ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने का परामर्श दे रहा था लेकिन अब नीम की खली के प्रयोग से 300 कि० ग्राम ही पर्याप्त समझा गया है जिससे 338 रु० मूल्य के 100 कि० ग्राम नाइट्रोजन या 220 कि० ग्राम यूरिआ की बचत हुई। उर्वरक की इस बचत के अलावा गन्ने के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 2.2 टन की बढ़ोतरी हुई है जिससे प्रति हेक्टेयर 330 रु० के हिसाब से लाभ में वृद्धि हुई। धान की फसल के लिए 22 कि० ग्राम तथा गन्ने की फसल के लिए 140 कि० ग्राम प्रति हेक्टेयर नीम की खली प्रयोग करने की हिदायत दी गई है।

इस खोज से यह निष्कर्ष निकलता है कि नीम की खली युक्त यूरिआ नाइट्रोजन और यूरिया की कमी को रोकता है। नीम की खली में विद्यमान कुछ विशेष गुणों के फलस्वरूप ऐसा होता है। अपने इन गुणों के कारण नीम की खली भूमि में विद्यमान कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। नाइट्रोजन के इस धीमे प्रवाह से फसलों के बढ़ने में भी सहायता मिलती है। धान और गन्ने की फसलों पर की गई इन खोजों से पता चला है कि नीम खली युक्त यूरिआ के प्रयोग से 25 से 50 प्रतिशत नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है।

रोजगार क्षमता

निम्बोलियों को इकट्ठा करने का कार्य एक लाभकारी कार्य है और इससे वर्ष में कम से कम दो-तीन महीनों के लिए भूमिहीन श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान किया जा सकता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने फालतू समय और छुट्टी के दिनों में पेड़ से गिरी निम्बोलियों को इकट्ठा कर सकते हैं। इससे वे अपना जेबखर्च व स्कूल का खर्चा आसानी से जुटा सकते हैं। इस समय निम्बोलियों को इकट्ठा करने के धंधे में 60 जन-दिनों के लिए 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मेजदूरी के लिए इन्हें कुल आठ करोड़ रु० दिए जाते हैं।

नीम का पेड़ एक विस्तृत क्षेत्र में लगाया जाता है। एक हेक्टेयर भूमि में लगाए गए 100 पेड़ों से 10 वर्ष बाद 5 टन निम्बोली प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है।

उर्वरक की बचत

एक टन नीम की खली धान की फसल के लिए 45 हेक्टेयर में तथा गन्ने की फसल के लिए 7 हेक्टेयर भूमि में प्रयुक्त

की जा सकती है। इस प्रकार देश के सभी नीम के पेड़ों से प्राप्त 3 लाख 30 हजार टन नीम की खली 1.48 करोड़ हेक्टेयर भूमि में धान की फसल के लिए और 23 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की फसल के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। देश में धान की फसल के लिए 177 करोड़ रु० का तथा गन्ने की फसल के लिए 108 करोड़ रु० का यूरिआ प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें से लगभग आधे मूल्य का यूरिआ विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाता है। इस भारी नुकसान को देश में उपलब्ध नीम की खली से रोका जा सकता है।

कीटनाशक दवा

साबुन बनाने के लिए 1975 के दौरान लगभग 18,000 टन नीम का तेल प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है और इसमें कीटनाशक तत्व होने के कारण इसका कीटनाशी दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

नीम के तेल को अगर बीज और अन्न पर छिड़का जाए तो इनकी कीड़ों से सुरक्षा की जा सकती है। नीम के तेल का इस प्रकार का प्रयोग अस्वास्थ्यकर नहीं है। अन्न को कीड़ों से बचाने के लिए 100 कि० ग्राम पर 800 ग्राम नीम का तेल पर्याप्त है।

मुर्गियों का चारा

कुछ प्रक्रियाओं के बाद नीम की गिरी को मुर्गी चारे में प्रयोग करने से इसमें प्रोटीन की बहुलता आ जाती है। मूंगफली के चारे के स्थान पर नीम की गिरी का प्रयोग करने से ज्यादा और बेहतर अंडे मिल सकते हैं।

इस तरह नीम एक अत्यन्त लाभदायक वृक्ष है जिसकी पत्तियों से लेकर बीज तक के अनेक उपयोग हैं। अगर नीम को इंसान का सच्चा साथी कहा जाए तो गलत नहीं।

सवाई माधोपुर जिले का गौरवशाली ग्राम रशीदपुर

रशीदपुर ग्राम सवाई माधोपुर जिले के हिंडौन उपखंड के अधीन महुआ पंचायत समिति क्षेत्र में महुआ-मंडावर मार्ग पर महुआ से कोई 8 किलोमीटर दूर सड़क से जुड़ा है। इस गांव की जनसंख्या 3,687 है, जिनमें मुख्य लोग मीना और जाटव हैं। इस छोटे से ग्राम में यद्यपि एक माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ही है, फिर भी यहां के निवासियों में शिक्षा के प्रति लगाव और आकर्षण है जिसके फलस्वरूप यहां के निवासी ग्राम सेवा से बाहर राष्ट्रसेवा में हैं। यहां के कई लोग विदेश, देश, राज्य और जिले में विभिन्न सेवाओं में प्रमुख पदों पर पदासीन हैं।

इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2,990 एकड़ में कृषि की जाती है जिसमें एक फसलीय और दो फसलीय क्षेत्र हैं। यहां की मुख्य उपज बाजरा, गेहूं, सरसों और चना है। ग्राम पंचायत के अधीन रशीदपुर के अलावा राजगढ़, सोंत और पोलवा ग्राम बस्ती भी है। ग्राम पंचायत में दस सदस्य हैं। पंचायत क्षेत्र में 419 खातेदार और 21 गैर खातेदार कृषक हैं। खेतों में सिंचाई का साधन कुएं हैं जिनकी संख्या 92 है। इनमें से 37 कुओं पर पम्पसेट कृषकों ने लगाए हैं।

रशीदपुर ग्राम सहकारिता के प्रति भी रुचि रखता है। ग्राम में रशीदपुर बृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति क्रियाशील है। इसके 711 सदस्य हैं। समिति ने पिछले वर्ष सदस्यों में 5 लाख 37 हजार 573 रु० का नकद ऋण वितरित किया और 11 लाख 76 हजार रु० का ऋण खाद-बीज रूप में वितरित किया। चालू वर्ष में भी जुलाई से अगस्त तक एक लाख रु० का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने में समिति द्वारा चीनी वितरण का कार्य भी किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत भी जागरूक है और पंचायत क्षेत्र में जन सहयोग से गांव की सड़क, औषधालय भवन और सार्वजनिक पार्क का निर्माण कर चुकी है।

बिजली के क्षेत्र में भी ग्राम में काम हुआ है। सड़कों पर रोशनी है। कुछ ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय पर 24 घरेलू कनेक्शन भी ले रखे हैं। चिकित्सा सेवा के अधीन एक आयुर्वेदिक औषधालय और एक परिवार कल्याण केन्द्र है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक साक्षरता केन्द्र संचालित है और एक वाचनालय भी है।

ग्राम में सार्वजनिक टेलीफोन और उप डाकघर हैं। ग्राम के लोगों ने 410 बचत खातों में लगभग 80 हजार रु० जमा करा रखे हैं।

लोक साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी ग्राम आगे है। ग्राम में एक मित्र मंडल गठित है, जिसने जिलास्तर पर कार्यक्रमों में पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त किया। इस ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र में प्राचीन और ऐतिहासिक भवनों में प्राचीन मंदिर और तहसील भवन हैं तथा शीतलदास का बाग और कुण्ड दर्शनीय हैं।

किसानों की ऋण सम्बन्धी समस्याएं और उनका समाधान

मो० कमरुल होदा

साधारणतः किसानों को इस समय ऋण की सुविधा तीन स्रोतों से उपलब्ध है। एक तो सहकारिता ऋण, दूसरा व्यावसायिक बैंकों से फसल ऋण और तीसरा कृषि विभाग का अनुपूरक ऋण। इसके अतिरिक्त कृषि वित्त निगम, पंचायत वित्त निगम आदि भी मैदान में हैं, परन्तु ऋण वितरण में इनका हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। सहकारी समितियों, व्यावसायिक बैंकों और कृषि विभाग की जनहित नीति में रंचमात्र सन्देह नहीं है, परन्तु क्या कारण है कि मात्र 21 प्रतिशत किसान सहकारी समितियों के माध्यम से, 2 प्रतिशत व्यावसायिक बैंकों से और 8 प्रतिशत कृषि विभाग से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण लेकर करते हैं। अगर इन ऋणों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाए तो स्थिति और भी गम्भीर नजर आती है। फिर ऋण के भुगतान की समीक्षा तो बिल्कुल संकटकालीन स्थिति बतलाती है। ये सभी केवल एक प्रश्न की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा क्यों ?

राष्ट्रीय महत्व के इस प्रश्न का उत्तर देना टेढ़ी खीर है। इसके लिए निम्न स्तर से ही गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ उत्तरों की झलक हमें इन योजनाओं से सम्बद्ध जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों में भी मिलती है, जैसे क्या योजनाओं का सही कार्यान्वियन हो रहा है ? क्या केवल अवसरवादी वर्ग ही लाभान्वित हो रहा है ? क्या ये योजनाएं सही और जरूरतमंद व्यक्तियों तक ले जाई जा सकी हैं ?

समस्या का मुख्य केन्द्र स्वयं विषय में ही निहित है। परिणामस्वरूप इन योजनाओं में बहुमत का विश्वास समाप्त हो गया है। ग्रामीणों में उनका खोया हुआ विश्वास वापस लाने हेतु प्रशासन और ग्रामीणों के बीच अवसरवादियों की खड़ी दीवार को तोड़ने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रशासन को विकास आधारित बनाना होगा तथा प्राप्तियों का मूल्यांकन परिमाण के अनुसार करने की नीति छोड़कर उपयोगिता के आधार पर सफलताओं को आंकना होगा। हमारे प्रसार कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक किसानों से निजी सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि उपलब्ध अनुदान और योजनाओं से बहुमत को अवगत कराकर उनके सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरणा की भावना जगाई जा सके। विकास योजनाओं के प्रबन्ध एवं प्रशासन का भार जब तक तकनीकी पदाधिकारियों के हाथ में नहीं आएगा तब तक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठोस आधार की खोज संदेहपूर्ण रहेगी।

सहकारी समितियां

भारत में सहकारी समितियों से हमारा परिचय का यह 73वां वर्ष है। समितियों को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु गत 25 वर्षों में सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से हमारे प्रयास ने अत्यधिक गति पकड़ी है। परन्तु इतनी लम्बी अवधि बीतने के बाद भी अभी तक मात्र 21 प्रतिशत किसान ही इन समितियों के सदस्य बने हैं। इस 21 प्रतिशत में से भी मात्र 10 या 11 प्रतिशत कृषकों को ही सहकारिता ऋण उपलब्ध हो पाता है। इसका मुख्य कारण मृत समितियों की दिनोंदिन बढ़ती हुई संख्या है, जो सदस्यों द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर बंद होती हैं। सदस्यों द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किए जाने के प्रमुख कारण हैं—(1) एक ही समय में बहुत स्रोतों से ऋण का उपलब्ध हो जाना। (2) विलम्ब से उत्पादक ऋण प्राप्त होना, जिससे वे ग़ैर-उत्पादक कार्य में व्यर्थ ही व्यय हो जाते हैं। (3) सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा वसूली का प्रतिशत कागज पर बढ़ाने हेतु अल्पकालीन ऋण की मांग के एक बड़े भाग को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित कर देना, ताकि मांग के घट जाने से वसूली का प्रतिशत स्वयं कागज में बढ़ जाए। (4) कुल ऋण में नकद राशि का अधिक अनुपात। (5) ऋण वितरण की जटिल विधि तथा (6)

कर्मचारियों की विरक्तता इत्यादि। स्थानीय प्रभावशाली तथा अवसरवादी व्यक्ति जो धीरे-धीरे इन समितियों पर छा गए हैं ताकि वे अपने काले धन्धों पर परदा डाल सकें और गरीब कृषकों को ऋण के उपयोग के लिए लालायित कर सकें ताकि उनमें भुगतान शक्ति उत्पन्न न हो और वे गरीब के गरीब बने रहें। हर जगह फैले भ्रष्टाचार एवं सहकारी कार्यालयों के तरीकों से भी कृषक घबराते हैं। अगर यही हाल रहा तो अधिक विज्ञापित नई कृषि-सेवा समितियों की भी वही दुर्दशा होगी जो अधिकांश समितियों का भाग बन चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रतिष्ठान के रूप में अभी कम ही लोग जानते हैं। बैंकों के अधिकारी भी राष्ट्रीयकरण के बाद बदली हुई स्थिति से अभी तक स्वयं को अभ्यस्त नहीं कर पाए हैं। पहले उनका सम्पर्क और सहयोग सफदपोश बड़े व्यापारियों से ही था। मैल-कुचले साधारण ग्रामीणों की ओर इन अधिकारियों की उदासीनता है। वैसे जमानतदारों की खोज जो बैंकों के अधिकारियों को मान्य हो और ऋण स्वीकृति में अन्य प्रकार के झंझटों के कारणों से कृषक तो दूर भागते ही हैं, अवसरवादी वर्ग भी इसे प्राथमिकता के क्रम में द्वितीय स्थान देता है।

विभागीय ऋण

तीसरे प्रकार का ऋण राज्य के कृषि विभागों द्वारा अनुपूरक ऋण के रूप में उन कृषकों को प्राप्त कराया जाता है जो या तो सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं या व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असफल रहे हैं। चूंकि यह ऋण शत प्रतिशत वस्तु ऋण के रूप में ही प्राप्त होता है, इसलिए अधिकांशतः उत्पादक कार्यों में ही लगाया जाता है और अन्य प्रकार के ऋणों की भांति कृषकों को शीघ्र और सुविधापूर्वक समय पर उपलब्ध हो जाता है। हर जगह फैले भ्रष्टाचार ने यहां भी अपनी राह निकाल ही ली है। काला बाजार के व्यापारी कुछ भोले-भाले कृषकों के नाम पर सामग्रियों को ऋण पर प्राप्त करके इन्हें काले बाजार में पहुंचा देते हैं। भ्रष्ट प्रशासन, ग्रामीण झगड़ों, स्थानीय कूटनीति इत्यादि ने इस योजना को भी शत प्रतिशत उपयोगी नहीं रहने दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो ग्रामीणों के विकास में हमारे आर्थिक सहयोग की नीति बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। गत कुछ वर्षों में कुछ प्रगति की झलक तो देखने को मिली, परन्तु इसकी गति और प्राप्ति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती।

सुझाव

ग्रामीणों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य की दिशा में सहकारी और व्यावसायिक बैंकों के वास्तविक और प्रभावशाली योगदान के लिए खंड स्तर पर किसी न किसी रूप में एक वित्तीय सलाहकार परिषद की स्थापना की आवश्यकता है। इस परिषद के 50 प्रतिशत सदस्य वे छोटे और सीमान्त कृषक होने चाहिए, जो वास्तव में छोटे कृषक हैं और किसी कागजी हेरफेर से इस श्रेणी में नहीं आए हैं। शेष 50 प्रतिशत सदस्यों में खंड के कृषि पदाधिकारी, जो इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, अंचल अधिकारी (राजस्व), सहकारिता और व्यावसायिक बैंकों का एक-एक प्रतिनिधि (प्रबन्धक से कम हैसियत का न हो) तथा उत्पादक सामग्रियों के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि हो। इस परिषद को इतनी शक्ति देनी आवश्यक है कि जो निर्णय इसके द्वारा लिए जाएं वे सभी ऋण प्रतिष्ठानों को मान्य हों।

ऋण की उपलब्धि में गड़बड़ी को रोकने के लिए खंड के अंचलाधिकारी (राजस्व) द्वारा एक स्थायी ऋण पुस्तिका सभी ऋणियों को दी जानी चाहिए। इस स्थायी ऋण पुस्तिका के पहले भाग में ऋणी के पास चल एवं अचल सम्पत्ति का विस्तृत ब्यौरा, अन्य स्रोतों से आमदनी, ऋण प्राप्त करने की अधिकतम सामर्थ्य इत्यादि दर्ज रहेगी। द्वितीय भाग में प्रत्येक ऋण प्रतिष्ठान द्वारा यह अंकित कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को कितना ऋण उनके द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इसका भुगतान इसके द्वारा किस तिथि को किस प्रकार किया गया है। सभी ऋण प्रतिष्ठान, ऋण स्वीकृत करने के पूर्व इस स्थायी ऋण पुस्तिका की मांग करेंगे। यदि किसी भी प्रतिष्ठान का बकाया नहीं होगा या किसी प्रतिष्ठान द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया गया होगा, तो आवेदक को सम्पर्क किए गए प्रतिष्ठान द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसका इन्द्राज आवेदक की स्थायी ऋण पुस्तिका में भी कर दिया जाएगा। इस प्रकार बाकीदारों को पुनः ऋण भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा तथा आवेदकों को ऋण की प्राप्ति में काफी सुविधा हो जाएगी। तभी हम ग्रामीणों की निजी-मदद और आर्थिक सहयोग से प्रगति की आशा कर सकते हैं। तभी समग्र ग्राम विकास की कल्पना सार्थक हो सकेगी।

हरिजनों को ऋण

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के हरिजनों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिला उद्योग विभाग ने पिछले तीन महीनों में 5,65,800 रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। इस कर्ज से विभिन्न उद्योगों में लगे 110 व्यक्तियों और 70 परिवारों को लाभ मिलेगा।

ये कर्ज जिला उद्योग कार्यालय की मार्फत राष्ट्रीयकृत बैंकों, मध्य प्रदेश वित्त निगम तथा बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से दिलवाये गए हैं।

प्रायश्चित

रमेश रंजन त्रिपाठी

भाई साहब का पत्र मिलने के बाद वह आफिस में बैठने लायक नहीं रहा। आधे दिन की छुट्टी की अर्जी देकर सीट से उठ आया।

जैसे प्रोजेक्टर पर घूमती हुई फिल्म को कोई जोर से खींच दे और पर्दे पर कई चित्र गड़मड़ा जाएं, स्मृति-पटल पर न जाने कितने बीते हुए क्षण एक साथ सजीव से हो उठे। आती-जाती सांसों में घुटन घुलने लगी। रास्ते में कई बार चेहरे पर चूह आए पसीने को पोंछते-पोंछते रूमाल ऐसा हो गया जैसे अभी-अभी धोया हो। हाथ में भाई साहब का पत्र अभी भी कांप रहा था। उसे जेब में रखने की सुध भी नहीं रही थी।

कमरे में पहुंच कर वह पलंग पर पसर रहा। पंखा पूरा खोलकर सुस्ताने की कोशिश करने लगा। दिमाग में दर्द की अनुभूति गहरी हो चली थी। आठ वर्षों का समय थोड़ा तो नहीं होता। और फिर जब एक-एक क्षण किसी दर्दीले अहसास में डूबकर बिताया गया हो। सिर के ऊपर पंखा घूम रहा था। पंखे की घरघराहट धीरे-धीरे उसके अन्दर भी भरती जा रही थी। आंखें बंद कीं तो सामने घने अंधकार के बीच भाई साहब का चेहरा घूम गया। यादों की गर्त में वह गहरे तक उतर गया।

यह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य ही था कि पढ़ाई पूरी होने के साल भर के भीतर ही नौकरी मिल गई थी। वरना, कितने दिन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते कोई नहीं जानता।

वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए जब रवाना हुआ तो भाई साहब और भाभी से बिछुड़ते हुए आंखें छलछला आई थीं। क्या कुछ नहीं किया था भाई साहब ने उसके लिए। पिताजी जो काम अधूरा छोड़कर असमय ही परलोक सिधार गए थे उसे भाई साहब ने पूरा किया था। उनका खुद का परिवार छोटा था क्या? चार-चार बच्चे और बढ़ती हुई मंहगाई में उन्होंने अपना पेट काट कर उसकी शिक्षा पूरी कराई थी।

कई बार तो ऐसी नौबत भी आई थी कि भाई साहब और भाभी को बिना खाए ही सो जाना पड़ा। महीनों भाभी ने एक जोड़ी धोती से ही काम चलाया। भाई साहब ने एक पैन्ट-बुशर्ट को लगातार पहना। शाम को धोकर डाल देते और सुबह फिर पहन जाते। खर्च कम करने के हर संभव प्रयत्न किए गए ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो। फिर भी आखिर एक क्लर्क की तनख्वाह ही क्या होती है?

वह सब देखता और दर्द का घूंट पीकर रह जाता। कभी भावावेश में आकर कुछ कहता तो भाई साहब डांट देते—'तुम्हें क्या मतलब है खर्च से? तुम तो मन लगाकर पढ़ते जाओ। बाकी चिन्ता करना हमारा काम है।' भाभी समझातीं—'किसी बात की फिक्र मत करो, बस पढ़ते जाओ। ये दिन भी कट जाएंगे।' और वह जी-जान से पढ़ाई में जुट जाता। बस, एक ही धुन रहती थी, भाई साहब की कुर्बानियों का सबसे अच्छा प्रतिफल देने की। ईश्वर ने भी उसकी सहायता की। उसने एम० एससी० में युनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पाया। भाई साहब और भाभी फूले नहीं समाए थे।

'आज हमारा सपना पूरा हो गया।' भाभी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था। फिर शुरू हुआ था, काम की तलाश का चक्कर। बेकारी के दिनों में भी भाई साहब ने उसे टूटने नहीं दिया। हमेशा प्रोत्साहन ही देते। और उसे भी रोजगार दफ्तर और पब्लिक लायब्रेरी के चक्कर बहुत दिन नहीं लगाने पड़े। उसे नौकरी मिलने पर भाई साहब ने कहा था—'अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे।'

उसने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था—'भाभी, भाई साहब के लिए मैं जितना भी कर सकूंगा, कम होगा।'

वह अकेला था। खर्च सीमित थे।

कोई बुरी लत भी नहीं थी वेतन में बचत कर लेना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वह प्रतिमाह नियमित रूप से कुछ रुपए भाई साहब को भेज दिया करता था। वे इसके लिए मना किया करते परन्तु उसे भलीभांति मालूम था कि भाई साहब की तनख्वाह उनके खर्च के हिसाब से कम है। जब भी वह उनके पास जाता सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य ले जाता। वह उनके लिए कितना भी करता परन्तु जी नहीं भरता था।

उन्हीं दिनों उसकी जान पहचान आभा से हुई। आभा बच्चों के स्कूल में अध्यापिका थी। अपने एक काम के सिलसिले में उसके आफिस में आई थी। संयोगवश, वह कार्य उसी के जिम्मे था। काम भी ऐसा था कि आभा को बार-बार आना पड़ा। जान-पहचान धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई।

पता नहीं, आभा में क्या जादू था। वह अनायास ही अपने दिल में उसके लिए तीव्र आकर्षण महसूस करने लगा था। आभा भी तो एक ही थी। गेहुआं वर्ण, बड़ी-बड़ी आंखें, सादगी पसंद और मृदु स्वभाव। एक दिन हिम्मत करके हकलाते हुए से उसने अपने दिल की बात आभा के सामने प्रकट कर ही दी—'आभा जी, मैं आपको...मेरा मतलब है...आई...आई लव यू !!'

आभा के गाल शर्म से तमतमा उठे। उसने गर्दन झुका ली थी। बिना कुछ कहे सुने ही आभा का प्रत्युत्तर उसने समझ लिया था—'आई आलसो !!' उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा था। वे अक्सर शाम को मिलने लगे थे। दोनों के दिलों में प्रेम का अंकुर फूटकर पल्लवित होने लगा था। वे उस स्थिति में आ गए थे जहां थोड़ी सी दूरी भी असह्य हो उठती है। भाई साहब से बात करनी आवश्यक हो गई और वह दो दिन की छुट्टी लेकर उनके पास पहुंच गया। सीधे उनसे बात करने की हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए भाभी को माध्यम बनाना पड़ा। शायद, रात में भाभी ने बात की होगी, सुबह नाश्ते में भाई साहब ने बिना किसी भूमिका के सीधा प्रश्न कर दिया—'यह आभा कौन है ?'

'जी...वो...एक लड़की है।' पहले तो वह हकलाया लेकिन फिर साहस बटोर कर बोला—'टीचर है। बहुत अच्छी लड़की है।'

'हूं।'

'हम दोनों एक दूसरे को...' उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और आगे बोलने लगा—'हम शादी करना चाहते हैं।'

'शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है।' भाई साहब गंभीर थे—'जिसके साथ तुम्हें जीवन बिताना है, उसे भली भांति समझ तो गए हो।'

'जी हां।' वह जल्दी से बोल उठा—'आप निश्चिन्त रहें।'

'आभा के पिता का शुभ नाम क्या है ?' भाई साहब धीरे से मुस्कुराए—'वे करते क्या हैं ?'

'वे सिविल अस्पताल में कम्पाउंडर हैं। उनका नाम श्री गंगाधर निगम है।' उसने बताया। 'निगम ?' भाई साहब चौंके—'तो क्या वे लोग अपनी जाति के नहीं हैं ?'

'जी नहीं।' वह सहज भाव से बोला।

'क्या ?' भाई साहब अचंभित थे—'तुम दूसरी जाति की लड़की से शादी करने की बात सोच रहे हो ?'

'लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है ?' वह अचकचाया।

'हर्ज ?' भाई साहब की आवाज तेज हो उठी—'हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने काबिल न रहेंगे।'

'धर्म क्यों नष्ट हो जाएगा, भाई साहब ?' वह साहस बटोर कर बोला—'हम शादी कर रहे हैं कोई चोरी तो

नहीं। रही बात जात-पांत की, तो इस ढकोसले के लिए प्यार का गला तो नहीं घोंटा जा सकता।'

'बको मत! यह प्यार नहीं जवानी का नशा है। तुम्हारे इस पागलपन के लिए मैं कुल में दाग नहीं लगने दूंगा।'

'भाई साहब, आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है।' पता नहीं कहां का साहस उसमें आ गया था—'जात-पांत, ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है और हम अभी तक उससे चिपके हुए हैं। आदमी चांद पर पहुंच रहा है लेकिन हम अपने खोखले रस्म-रिवाजों की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं।'

'यह सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, करने में नहीं।' वे कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे—'मैं तुम्हारी शादी अपनी ही जाति की किसी कन्या से करूंगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा तुम्हारे लिए कि लोग वाह-वाह कर उठेंगे।'

'नहीं भाई साहब, जिस लड़की को मैं जानता नहीं, समझता नहीं उसके साथ शादी करने से तो अच्छा है कि कुंवारा ही रहा जाए।' वह दृढ़ता से बोल रहा था—'मैं शादी करूंगा तो आभा से वरना कुंवारा ही रहूंगा।'

'सुमेर! मैं तुम्हें अन्तर्जातीय विवाह करने की आज्ञा हर्गिज नहीं दे सकता।' भाई साहब ने अपना निर्णय सुना दिया—'तुम नहीं जानते इस शादी का कितना बुरा प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़ेगा। कल मेरी बेटी भी बड़ी होगी। तब हमारी जाति में कौन उससे शादी करेगा? किस मुंह से हम उसके लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम्हारे इस एक गलत कदम से पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा।'

वह कुछ न बोल सका था।

'हां, तुम्हें यदि आभा से शादी करनी ही है कर लो। लेकिन उसके बाद तुम्हारा सम्बन्ध हमेशा-हमेशा के लिए हमसे समाप्त हो जाएगा। फिर तुम हमारे कोई नहीं और हम तुम्हारे कोई नहीं।' भाई साहब उठकर कमरे से बाहर चले गए। वह स्तब्ध खड़ा रह गया था, निश्चल, स्पंदनहीन।

भाई साहब, आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। जात पांत, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है और हम अभी तक उससे चिपके हुए हैं। भाई साहब के सामने बोलने का न जाने कहां से साहस आ गया था उसमें। अपने प्रेम के लिए वह समाज से टकरा जाने को तैयार था।

वह आभा से प्यार करता था। अपने प्रेम के लिए वह समाज से टकरा जाने को तैयार था। उसे दुनिया में और किसी की परवाह नहीं थी। बस, वह केवल भाई साहब का आशीर्वाद चाहता था। परन्तु अब?

एक बार तो वह भाई साहब की इच्छा के विरुद्ध भी आभा से शादी कर लेता। परन्तु अपनी इस खुशी के लिए वह उनके परिवार को परेशानी में कैसे डाल दे? और फिर, भाई साहब से सम्बन्ध टूटने की बात तो वह सोच भी नहीं सकता था।

जैसे कोई सिर पर जोर से हथौड़े पटक रहा हो। विचारों का तूफान गुजरता रहा पूरा दिन; पूरी रात वह असह्य मानसिक संवेदनाओं के बीच गुजरता रहा। उसे आभा और भाई साहब दोनों में से किसी एक को चुनना था, जबकि दोनों उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे। अन्त में, भाई साहब की इच्छा और खुशी के लिए उसने आभा के प्यार की बलि दे देने का निश्चय कर लिया।

मैंने आभा से शादी का विचार छोड़ दिया है।' लौटते समय उसने अपने निर्णय से भाई साहब को अवगत करा दिया—'परन्तु मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा आप परेशान न हों।'

वह लौट आया था। आभा के सामने सारी बातें सविस्तार रख दी थीं। आज भी उसे याद है, असह्य वेदना की लकीरें आभा की आंखों से निकलकर गले तक फैल गई थीं। उनके सामने कोई विकल्प न था। आभा ने उसे कोई दोष न दिया। शायद, परिस्थितियों के सामने झुक जाना ही उनकी नियति थी।

उसने अपना तबादला दूसरी जगह करा लिया। उस जगह रह पाने का उसका मनोबल टूट चुका था। जिंदगी एकदम नीरस बन गई थी। सभी कुछ तो बिखर गया था।

समय की पर्त भी उसके घाव को नहीं भर सकी। वह आभा के साथ बहुत गहराई तक जुड़ चुका था, शायद इसीलिए। अभी भी राख के ढेर में बहुत नीचे एक छोटी-सी चिंगारी सुलगती थी, धीमे-धीमे। इसीलिए, भाई साहब की कोशिशों के बावजूद वह शादी के लिए तैयार नहीं हो सका था। सिर्फ उसने ही नहीं, आभा ने भी तो शादी नहीं की थी। एक बार बहुत हिम्मत करके उसने आभा को शादी कर लेने के लिए पत्र भी लिखा था। अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया था उसने—'मेरे हृदय में मेरी पसंद की मूरत को मत छीनो। वहां और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर देना।'

टेबिल पर रखे भाई साहब के पत्र ने हवा में फड़फड़ा कर उसकी तन्द्रा भंग कर दी। वह पुनः अपनी दर्दीली स्थिति में लौट आया। पत्र का एक-एक शब्द मस्तिष्क पटल पर चमक रहा था—'प्रिय सुमेर, खुश रहो। जैसा कि मैं पहले भी लिखता रहा हूं, कृष्णा के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिल पा रहा था। अपनी ही बिरादरी में नौकरीशुदा अच्छे रिश्ते के लिए दहेज की इतनी मोटी रकम की मांग की जा रही है जिसे दे पाना मेरे लिए असंभव ही है। मैं एक मामूली क्लर्क भला दस-बीस हजार रुपये नकद कैसे दे सकता हूं? फिर, यदि कृष्णा मेरी इकलौती संतान होती तो मैं अपना सब कुछ उसकी खुशी के लिए न्यौछावर भी

कर देता, किन्तु अभी उसके छोटे भाई-बहनें भी तो हैं। आज के जमाने में घर का खर्च तो मुश्किल से चलता है, बचत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहां से आएंगे इतने पैसे ? और बिना पैसे के शादी करने पर लड़के एकदम नालायक मिलते हैं। मैं एक बाप हूं, अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर सकता हूं ? मजबूरन मुझे अपनी ही बिरादरी में कृष्णा की शादी की बात सोचनी ही छोड़नी पड़ी।'

'इधर एक बहुत अच्छा लड़का मिला है। जूनियर इंजीनियर के पद पर है। देखने सुनने में बहुत अच्छा है। और कृष्णा को चाहता भी है। कृष्णा भी उसे पसन्द करती है। उसके घर वाले भी तैयार हो गए हैं। बस, एक ही कमी है, लड़का अपनी जाति का नहीं है। लेकिन, अब तो जमाना तेजी से बदल रहा है। वे दिन लद गए जब लोग एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीते थे। व्यर्थ के रीति-रिवाजों के पीछे भागना उचित नहीं। जात-पांत के ढकोसलों के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़ करना कहां की समझदारी है ? कु-प्रथाओं के विरुद्ध हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। अब समय आ गया है, हमें पूरे समाज को ही बदलने के लिए कमर कसनी पड़ेगी।'

'शायद मैं अधिक भावुक हो उठा हूं। तुम तो स्वयं समझदार हो। शादी की तिथि अगले माह की दस तारीख को है। तुम छुट्टी लेकर कम से कम पन्द्रह दिन पहले तो पहुंच ही जाओ। सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है। तुम्हारा ही, शिव।'

कितना क्रूर मजाक किया था, भाग्य ने उसके साथ ? वही भाई साहब जिन्होंने जात-पांत, के व्यर्थ के ढकोसले के लिए उसके प्यार का गला घोंट दिया था, उसकी इच्छाओं को गलत कदम कहकर आगे बढ़ने से रोक दिया था, आज स्वयं परिस्थितियों के वशीभूत होकर उसी गलत कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गए थे। बदलते समय को तब उन्होंने नकार दिया था किन्तु आज सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा। काश ! उन्हें अहसास होता, कितनी बड़ी सजा भुगती है उसने, झूठी रस्मों के लिए। काश ! उसने भाई साहब की बात न मानी होती, विद्रोह कर दिया होता, एक गलत जिद के आगे न झुका होता। कितना बड़ा अन्याय हुआ था, उसके साथ, आभा के साथ ! इस अन्याय का प्रायश्चित्त भी होना चाहिए।

वह कृष्णा की शादी में जाएगा लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी होगी, आभा होगी। यही होगा सच्चा प्रायश्चित्त ! उसके चेहरे पर नए संकल्प की दृढ़ता छा गई। वह आभा के पास पहुंचने के लिए उतावला हो उठा। ●

बागों में फूल झरे

खुल गया मौसम
बागों में फूल झरे
दर्पण के आर पार
रेशमी उजालों में
परछाई हंसती है।

पोर पोर भीज गया
अनुबन्धित हो गए
आंख के उजाले
होंठों ने गीत गाए
बंद खुले अंगों के
नाच रहा मन मयूर।

डाल डाल, पात पात
बौरा रहे दिन रात
भावों के समन्दर में
गोते लगा लगा
कलियां चटकती हैं!

गीतों की मधुशाला
अंतर कुरेद गई
एक एक छंद से
प्रणय लता लाज से
सिमट सिमट जाती है
अपनी ही आहट से।

नदी के किनारे
गांव के मछुआरे
पानी में डाल जब
कांटे में आप अपने
मछली आ फंसती है।

—पूरन सरमा

जात पांत और छुआछूत का जहर हमारे समाज को खोखला कर रहा है। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा।

छोटे किसानों की मदद के लिए योजनाएं

आर० श्रीनिवासन

छोटे किसानों की विकास एजेन्सी की योजनाओं के पीछे क्या उद्देश्य है, इस बात को भली-भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि 1960 के दशक में देश की स्थितियों पर विचार करें। ग्रामीण भारत की दो प्राचीन व्यवस्थाएं थीं : पंचायतीराज और सहकारी संस्थाएं। ये प्राचीन काल से अब तक चली आ रही हैं। पिछले दशक में इन के कार्य-कलाप से लोगों में किसी हद तक क्षोभ हुआ। आमतौर पर यह बात महसूस की गई कि इन व्यवस्थाओं से गांवों के केवल बड़े किसानों और निहित स्वार्थों को ही लाभ पहुंचा है। सहकारिता व्यवस्था में निहित स्वार्थों के उन्मूलन के लिए पहले मद्रास में 1968 में मुख्य मंत्रियों ने और फिर 1969 में बंगलौर में सहकारिता के राज्य मंत्रियों ने कुछ उपायों की सिफारिश की।

इस धारणा को तत्कालीन कृषि उत्पादन के संदर्भ में भी देखना चाहिए। अधिक कृषि उत्पादन के लिए उठाया गया पहला प्रमुख कदम 1960-62 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम का 15 राज्यों के 16 चुने हुए जिलों में अपनाया जाना था। इसी प्रकार 1964-65 में 117 जिलों में दूसरा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया गया। उस दशक के बीच में अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के कार्यक्रम को अपनाने के फलस्वरूप कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 1966 के खरीफ मौसम में 7 लाख 30 हजार हेक्टेयर भूमि में, जहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था थी, अपनाया गया। इस नीति के फलस्वरूप देश में 1950-51 की तुलना में अनाज की उपज दुगनी हो गई। कृषि की उपज तो निश्चय ही बढ़ी, किन्तु यह भी महसूस किया गया कि नई प्रौद्योगिकी (तकनीकों) का लाभ मुख्य रूप से खुशहाल किसानों को पहुंचा है। ये लोग आसानी से अपनी पहुंच के कारण नई तकनीक अपना सकते थे और साथ ही ऋण भी इन्हें आसानी से मिल जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े किसान और अमीर होते गए और छोटे किसानों को इस हरित क्रांति के लाभ नहीं मिल पाए।

रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने 1969 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि गरीब किसानों पर ज्यादा ध्यान देने के विशेष उपाय किए जाएं। समिति का निष्कर्ष था कि अगर विकास के लाभ से ग्राम्य समुदाय का अधिकांश वंचित रहता है और कुछ ही लोग लाभ उठाते हैं तो इससे होने वाले सामाजिक व आर्थिक तनाव न केवल गांव की अर्थ व्यवस्था में उपयुक्त और शान्तिपूर्ण परिवर्तन को भंग करेंगे बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय प्रयत्नों को भी धक्का लगेगा।

कार्यक्रम का प्रारंभ

छोटे किसानों की विकास एजेन्सी कार्यक्रम की शुरुआत अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर हुई। इस समिति ने मुख्य निष्कर्ष यह निकाला कि ऋण लेने वालों में समृद्ध किसानों की संख्या ज्यादा थी। दूसरी बात यह थी कि बड़ी जायदाद वाले किसानों को दिया जाने वाला ऋण छोटों की तुलना में कहीं अधिक था। मोटे तौर पर संभवत: यह कहना ठीक होगा कि (शायद महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर) बड़े किसानों को जितना ऋण उन्हें मिलना चाहिए था उससे अधिक मिला और छोटे किसानों में से बहुत से लोगों ने सहकारी समितियों से ऋण लिया ही नहीं और कुछ लोगों को मिला भी तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम मिला।

इस स्थिति के कई कारण थे। समृद्ध और प्रभावशाली किसानों का सहकारी समितियों पर प्रभुत्व था। छोटों की वहां पहुंच कम थी। कभी यह भी होता था कि जात-पांत और पूर्वाग्रहों के कारण वे लोग वंचित रह जाते थे। यह कारण भी कभी-कभी उचित ठहराया जा सकता था कि छोटे किसानों की ऋण भुगतान की क्षमता नहीं थी या कभी-कभी वह ठीक जमानत नहीं दे पाते थे। कुछ

स्थायी पूंजीगत लागतों में यह देखना होता है कि उस धंधे का न्यूनतम फैलाव कितना है और इस दृष्टि से छोटे किसानों की खेतीबाड़ी तो बहुत ही कम होती है। विस्तार और ऋण देने वाली संस्थाएं छोटे किसानों को ऋण देना लाभकारी नहीं समझतीं। दूसरी बात यह भी है कि छोटा किसान बड़ी पेचीदा और तामझाम वाली तकनीकों को अपनाने में सकुचाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर उसने अपनी सभी पूंजी एक ही जगह लगा दी और लाभ न हुआ तो उस का तो सभी कुछ गया।

दृष्टिकोण

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने छोटे किसानों की समस्याओं को कैसे सुलझाएं, पहले पहल इसके बारे में दृष्टिकोण व्यक्त किया। रिपोर्ट में कहा गया है "खेतिहर मजदूरों की मुख्य आवश्यकता है पर्याप्त और निरन्तर रोजगार, जबकि इसके विरुद्ध छोटे और बहुत छोटे (सीमान्त) किसानों को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए इन्हें भूमि, साज सामान, तकनीकी दक्षता द्वारा सहायता मिलनी चाहिए। अतः समस्या का समाधान यह है कि उनकी खेतीबाड़ी तकनीकी दृष्टि से अधिक लाभकारी और बचत वाली हो, इसलिए उनके साधन और ज्ञान में इजाफा किया जाना चाहिए। स्पष्टतः अगर किसान सुधरी तकनीकें अपनाएं, तो जिन्हें आवश्यक निवेश जैसे सिंचाई, मशीनें आदि मिलेंगे केवल वे ही सफल हो सकते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त फसल पद्धति, नए निवेश आदि के अपनाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम कुछ चुने हुए जिलों में छोटे किसानों के विकास के लिए एजेन्सी की स्थापना का सुझाव देते हैं। इस एजेन्सी को अपने-अपने क्षेत्र के किसानों के बारे में पता लगाना चाहिए कि उनकी (1) उत्पादकों (किसानों) की हैसियत से विशेष समस्याएं क्या हैं, (2) इन कठिनाइयों को कैसे दूर करने में मदद की जाए ताकि उनकी खेती सक्षम और लाभकारी हो सके और (3) साधनों को जुटाने में क्या प्रबन्ध किए जाएं? इस प्रकार एजेन्सी न केवल उपज बढ़ाने में बल्कि छोटे किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में मदद कर सकती है।"

जशपुर आदिवासी परियोजना

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले की जशपुर आदिवासी परियोजना में सड़कों के बनाने, पीने के पानी और चिकित्सा सुविधा मुहैया करने, शिक्षा प्रसार और लोगों की भलाई के ऐसे ही दूसरे कामों के लिए 1.80 करोड़ रु० खर्च किया जाएगा।

परियोजना इलाके में आवागमन सुविधा बढ़ाने के लिए 18 सड़कें बनाई जाएंगी। इन पर पुलों का निर्माण भी किया जाएगा ताकि वे बारहमास खुली रहें। इस काम पर लगभग 68 लाख रु० खर्च होंगे। इसी प्रकार इन इलाकों में हैंड पंप लगाकर और निचले इलाकों में कुएं खोदकर पीने के पानी के बन्दोबस्त के लिए 28 लाख रु० रखे गए हैं।

दूरदराज के गांवों में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाखानों को खोलने के लिए 33.33 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। भीतरी इलाकों में शिक्षा के फैलाव के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ●

चौथी योजना

उक्त सिफारिशों के आधार पर छोटे किसानों के विकास के लिए एजेन्सियों की स्थापना की गई। फसल, सहायक धंधों और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए ताकि उनकी क्षमता सुधर सके। इन एजेन्सियों के साथ ही भारत सरकार ने यह भी महसूस किया कि छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए भी एजेन्सी स्थापित की जाएं जोकि मुख्यतः सहायक धन्धों और रोजगार देने वाले कामों पर जोर दें क्योंकि इन लोगों का गुजारा सिर्फ काश्तकारी से होना संभव नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 46 एजेन्सियां छोटे किसानों के लिए और 41 एजेन्सियां सीमान्त (बहुत छोटे) किसानों के लिए शुरू की गईं। ये सब पंजीकृत हैं। यद्यपि इन के अन्तर्गत कई परियोजनाएं 1970-71 के दौरान मंजूर की गईं, पर वे कारगर तरीके से केवल 1971-72 में चालू हुईं। इन 87 एजेन्सियों के लिए परियोजना अवधि उसी साल से मानी गई। आरंभ में छोटे किसानों वाली परियोजनाओं का लक्ष्य केवल 50,000 छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना था और सीमांत किसानों वाली परियोजनाओं का 15,000 सीमांत किसानों और 5,000 खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचाना था। इन एजेन्सियों का मुख्य कार्य स्वीकृत मानकों के अनुसार व्यक्तियों को चुनना, सुधरी खेती और सहायक धन्धों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, उनके लिए संस्थाओं से ऋण दिलाना और उस क्षेत्र की विकास तथा सेवा एजेन्सियों के माध्यम से कार्यक्रमों को अमल में लाना है। मुख्य बल फसलों पर दिया गया। क्षेत्र की उपयुक्तता तथा हाट-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सहायक धन्धों के कार्यक्रम भी चालू किए गए। खेती के सुधार कार्यों में भूमि विकास, भू-संरक्षण, छोटी सिंचाई, बागवानी, प्रदर्शन, नई व सुधरी किस्मों को अपनाना, बहुफसली खेती चालू करना आदि शामिल थे। सहायक धंधों में दुधारू पशु यानी गाय-भैंसों की सप्लाई, मुर्गीपालन, सूअरपालन, भेड़-बकरी पालन, मछली पालन शामिल थे। दोनों ही एजेंसियों के अन्तर्गत गांव के दस्तकारों के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था थी जिसके लिए 5 लाख रुपये की पूंजी रखी गई थी ताकि देहाती दस्तकार जैसे लुहार, बढ़ई आदि अपने कामों में सुधार ला सकें। इसी प्रकार सीमान्त किसानों व खेतिहर मजदूरों की योजना के लिए

उन्नत बीजों का इस्तेमाल बढ़ा

देश में अधिक उपज वाले बीजों को उगाने के कार्यक्रम से अनाज की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम 1965-66 में आरम्भ किया गया था। अनुमान है कि चौथी योजना में हुई 3.1 करोड़ टन खाद्यान्न की कुल वृद्धि में से लगभग 2.1 करोड़ टन वृद्धि अधिक उपज वाले बीजों को उगाने के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपनाने के कारणों से हुई थी। वर्ष 1968-69 में जहां 48 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की उपज होती थी, वहां वर्ष 1975-76 में गेहूं के अधिक उपज वाले बीजों को उगाने के कार्यक्रम के अधीन 1 करोड़ 35 लाख 60 हजार हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती की जाने लगी। इसी प्रकार इस अवधि में धान की खेती के अधीन क्षेत्र 26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1 करोड़ 29 लाख 70 हजार हेक्टेयर हो गया।

15-20 लाख रुपये रखे गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमान्त किसानों व भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को गैर-मौसम में रोजगार दिलाना था। छोटे किसानों को 25 प्रतिशत सहायता, सीमान्त किसानों व खेतिहर मजदूरों को विभिन्न कार्यक्रमों में लगाई जाने वाली लागत, जैसे छोटी सिंचाई, भूमि सुधार, भू-संरक्षण, पशु-पालन आदि पर आने वाली लागत का 33.3 प्रतिशत सहायता के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था थी। इन एजेन्सियों के लिए पांच वर्ष की पूरी अवधि के दौरान 1.5 करोड़ रुपये (छोटे किसानों के लिए) और 1 करोड़ रुपये (सीमांत किसानों व मजदूरों के लिए) की राशि नियत की गई थी।

पांचवीं योजना

पांचवीं योजना में राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट पर छोटे किसानों व सीमांत किसानों के बारे में सरकारी रवैये में कुछ परिवर्तन हुआ। इस आयोग ने कमजोर वर्गों को समान सुविधाएं व सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से स्थिति की जांच की ताकि वे लोग भी उपज बढ़ाने में कारगर भाग ले सकें। पांचवीं योजना में गरीबी कम करने का लक्ष्य भी ध्यान में रखा गया।

राष्ट्रीय आयोग ने नीचे लिखी बातों पर विशेष रूप से जोर डाला :

(क) यह बताया गया कि छोटे और सीमांत किसानों के सामने मुख्य कठिनाई साधनों, सुविधाओं, तकनीकी दिशा निर्देश, और कार्यकुशलता का अभाव है। यदि इनके लिए आवश्यक साधन जुटाए जाएं और दिशा-निर्देश दिया जाए तो वे उपज काफी बढ़ा सकते हैं। इनकी जोतें छोटी होने पर भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फसल उत्पादन के संदर्भ में कृषि के विकास के लिए छोटे और सीमान्त किसानों पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये लोग भविष्य में काफी समय तक रोजगार और आमदनी के लिए केवल खेती पर निर्भर रहेंगे।

(ख) आयोग ने इस बात की ओर इशारा किया कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर वर्गों के लिए केवल अलग से कार्यक्रम बनाना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं होगा। सिंचाई, पानी के सदुपयोग तथा भूमि विकास सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों को क्षेत्रों के आधार पर तैयार करना होगा। इसी प्रकार सहायक धन्धों के कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि उत्पादन, हाट-व्यवस्था, भंडारण के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना और आवश्यक पशु-चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जब सुसम्बद्ध क्षेत्र की दृष्टि से खेतीबाड़ी पर जोर दिया गया तो महसूस किया गया कि अलग-अलग एजेंसियों के भेद को समाप्त किया जाए। प्रत्येक एजेन्सी उसी क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों सभी के लिए व्यवस्था करे।

(घ) गरीबी कम करने के उद्देश्य के अनुरूप इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तीन सबसे गरीब वर्गों को फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। पहले कुछ परियोजनाओं में जोत की उच्च सीमा 4 हेक्टेयर रखी गई थी। आयोग ने यह बताया कि बारानी खेती के अन्तर्गत भी जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर भूमि है, वे भी न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर तक अपनी आय पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का लाभ उन किसानों तक भी पहुंचे जिन की जोत बारानी खेती के अन्तर्गत दो हेक्टेयर से भी कम हो।

(च) आयोग ने सुझाव दिया कि किसी क्षेत्र में हाट-व्यवस्था और प्रशोधन के लिए ढांचा तैयार करने से छोटे और बड़े दोनों किसानों को लाभ होगा। आमतौर पर यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। इसे योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन कार्यक्रमों के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के लिए एजेंसी के कोष से कोई पैसा नहीं दिया गया।

तीन विशेषताएं

छोटा किसान विकास एजेंसियों की नीति के तीन विशेष अंग हैं—चयनात्मकता, सहायता और ऋण-व्यवस्था। इन्हीं के कारण यह कार्यक्रम अन्य सामान्य विकास कार्यक्रमों से भिन्न बन गया है।

पहचान इस कार्यक्रम का सार है। चूंकि छोटा किसान विकास एजेन्सी कार्यक्रम विशिष्ट वर्गों के लोगों के लाभ के लिए बनाया गया है इसलिए यह देखना निहायत जरूरी है कि इन वर्गों की पहचान सही तौर पर हो और सही लोगों को इसका लाभ पहुंचे। दरअसल इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में एक प्रमुख आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इस कार्यक्रम से बड़े किसान लाभ उठा लेते हैं, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए सही वर्गों की पहचान

के काम को आसान करने के लिए एक प्रभावी परिभाषा को स्वीकार किया गया।

प्रथम अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1951), अखिल भारतीय कर्ज और निवेश सर्वेक्षण (1961-62), अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1969) सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे कि ऋण चाहे संस्थागत था या दूसरा वह अधिकतर मध्यम या छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसानों को अधिक मिला। इन समितियों ने यह भी पाया कि पिछली योजनाओं की अवधि में ग्रामीण विकास के जिन कार्यक्रमों पर अमल हुआ उनसे छोटे किसानों को अपनी संख्या और आवश्यकता के अनुपात से लाभ नहीं मिला। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत जैसे देश में, जहां 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं, ऐसे कम खुशहाल किसानों की उत्पादन क्षमता और उनकी आमदनी बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाए। उपरोक्त सन्दर्भ में छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता की मंजूरी निम्न कारणों से दी जानी चाहिए।

1. वित्त देने वाली संस्था आमतौर पर जितनी जरूरत होती है उससे कम राशि की मंजूरी देती है। बची हुई राशि किसानों को अपने साधनों में से देनी पड़ती है।
2. छोटे और सीमान्त किसानों की पूरी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते समय उनके जीवन यापन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा।
3. ब्याज का बोझ किसान पर बहुत रहता है, इससे राहत देने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी जरूरी है।
4. आर्थिक सहायता से बैंक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे छोटे किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

उपरोक्त कारणों से राष्ट्रीय नीति के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों जैसे छोटा किसान विकास एजेन्सी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र कार्यक्रम आदि के जरिए कमजोर वर्गों को सहायता दी जाए। यह बात मानी गई है कि जल्दी से जल्दी छोटे किसानों में जीवन-यापन की क्षमता पैदा की जाए।

किसानों की मदद के लिए बैंकों की जगह-जगह ग्रामीण शाखाएं खुल रही हैं

आर्थिक सहायता

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने "छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूर विकास एजेंसियों के पुनर्नवीकरण कार्यक्रमों" पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर भी विस्तार से विचार किया। यहां रिपोर्ट का उद्धरण देना ठीक रहेगा। "भूमि को ठीक करना, नहरों और नालियों की खुदाई और सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता दो कारणों से जरूरी हो जाती है और जारी रहनी चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए किसानों के जो वर्ग छांटे गए हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वे मुश्किल से जीवनयापन कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिली सुविधाओं के बावजूद भी उनकी आमदनी गुजारे लायक आमदनी से कम रहती है। यह ऐसा वर्ग है जिसे सरकार द्वारा कृषि विकास जैसे सिंचाई, भू-संरक्षण और अन्य कार्यक्रमों पर खर्च की गई विशाल धन-राशि से लाभ नहीं हो पाया। अभी तक इनका लाभ धनी वर्ग ने उठाया है। साथ ही जिन लोगों ने सरकारी सिंचाई योजनाओं से लाभ उठाया, वे खर्च की गई राशि के अनुपात में लाभ देने की बात तो छोड़िए मामूली संचालन दर भी नहीं दे पाए। इसके फलस्वरूप भारी आर्थिक सहायता दी जाने लगी जिससे समृद्ध किसानों ने सिंचाई और निकासी के कार्यक्रमों से लाभ उठाया। अतः सरकार अपने साधनों से ऐसे सिंचाई और निकासी कार्यक्रम शुरू करे जिनसे छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचे। पर कुएं या उथले नलकूप बनाने का कार्यक्रम निजी या सामुदायिक रूप से किया जाना चाहिए। सिर्फ इसीलिए उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए सरकारी सहायता से वंचित करना ठीक नहीं होगा। आयोग की राय में छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों के लिए 33.3 प्रतिशत आर्थिक सहायता देना ठीक रहेगा।"

"आज के सीमान्त किसान ने अपनी आमदनी बढ़ाने और गुजारे के लिए कई अन्य पूरक धंधे अपनाए हैं। ये पूरक धंधे जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन अधिक लाभकारी नहीं हैं। इनसे भी गुजारा न होने पर उसे दूसरों के खेतों में या अन्य जगह मजदूरी करनी पड़ती है जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। फलस्वरूप वह अपनी खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। मजदूरी अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पाती। ऐसे वर्ग को निवेश पूंजी से लाभ उठाकर खेती सुधारने में कुछ समय लगेगा। उसे नए ढर्रे और आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने में समय लगेगा। इस तरह वह अपनी खेती की ओर ध्यान देने लगेगा और सामान्य मजदूरी के कार्यों में कमी आएगी। सिचाई से लाभ तभी होगा जब किसान की जोत आधा हेक्टेयर से ज्यादा हो। पर अगर जोत बंटी हुई है तो एक या दो जोतों को सिंचाई से लाभ पहुंच सकेगा। इस प्रकार लाभ उठाने वाले किसानों की परेशानियां बनी रहेंगी। यह दूसरा कारण है कि छोटे और सीमान्त किसानों को कार्यक्रमों से आर्थिक सहायता दी जाए।"

छोटा किसान विकास एजेंसी के अंतर्गत कार्यक्रमों का आधार वित्तीय संस्थाओं जैसे सहकारी समितियों, व्यावसायिक बैंकों आदि से मिलने वाला ऋण है। इसका उद्देश्य यह है कि ऋण का अधिकाधिक भाग छोटे किसानों तक पहुंचे और उनकी प्रगति में सहायक हो। ये कार्यक्रम उत्प्रेरक सिद्ध होंगे और छोटे किसानों, राज्य सरकारों, तकनीकी और विस्तार एजेंसियों को परस्पर पास लाएंगे।

इस प्रकार छोटा किसान एजेंसी कार्यक्रम अपने में अलग कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम का दृष्टिकोण पिछले विकास कार्यक्रमों से सर्वथा भिन्न था। इसमें कोशिश की गई कि मौजूदा संगठनों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत छोटे किसानों के हितों की गारंटी दी जाए। इसका उदाहरण यह है कि सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण देने सम्बन्धी शर्तों में छूट दी गई और कर्जों का एक निश्चित भाग छोटे किसानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया।

मूल्यांकन

अलग-अलग तौर पर छोटा किसान विकास एजेंसी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1972-73 में एक क्षेत्र अध्ययन द्वारा बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम की जांच का कार्य किया। विभिन्न राज्यों में एजेंसी के अंतर्गत 13 कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया। यह पता लगा कि अच्छी शुरूआत हुई है और छोटा किसान विकास एजेंसी के अंतर्गत कार्यक्रमों से अपेक्षाकृत छोटे किसानों की आर्थिक क्षमता को सुधारने की दिशा में प्रयास हुए हैं। आय के स्तरों की व्यय के स्तरों से तुलना करने पर पता चला कि इससे सभी छांटे गए किसानों की आर्थिक क्षमता सुधरी। अध्ययन से और भी कई चीजें पता चलीं, जैसे ऐसे किसानों का पता चला जो पहले से ही सक्षम थे। इस प्रकार मिलने वाले लाभों का सही उपयोग नहीं हुआ। चुने हुए किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने में विलम्ब हुआ। कई क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं से लाभ नहीं पहुंचा।

यह भी देखने में आया कि जहां सुव्यवस्थित प्रबन्ध वाली सहकारी समितियों के अंतर्गत डेरी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए वे काफी सफल रहे। इसमें डेरी के सभी अंग शामिल थे जैसे दूध इकट्ठा करना, वितरण आदि। किन्तु पशुपालन सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों जैसे मुर्गीपालन, सूअर पालन, भेड़ पालन आदि को विशेष सफलता नहीं मिली। सामुदायिक कार्यक्रमों की सफलता राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वित कार्यों पर निर्भर रही।

अनुवादक—ब्रजलाल उनियाल

गलीचे बुनने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने सारे देश में बड़ी संख्या में गलीचे बुनने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। बोर्ड 1979 तक लगभग 30,000 बुनकरों को प्रशिक्षण देगा। मार्च, 1977 के अन्त तक ऐसे 212 केन्द्र देश में चल रहे थे। 1977-78 के दौरान 310 नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। प्रत्येक केन्द्र में 50 बुनकरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

नए प्रशिक्षित बुनकरों को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को उत्पादन केन्द्र में बदलने का प्रावधान किया गया है। इन उत्पादन केन्द्रों को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम और राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था हस्तशिल्प और हस्तकरघा निर्यात निगम आदि जैसी संस्थाएं चलाएंगी। विदेशों में हाथ से बुने हुए गलीचों की बहुत मांग है।

हथकरघा उद्योग: विकास की नई सम्भावनाएं

भारत जैसे देश में जहां बेकारी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही हो, वहां कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के औचित्य को नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार गांवों में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है जिनसे रोजगार की नई सम्भावनाएं बन सकती हों। हथकरघा उद्योग, जिसमें समस्त उत्पादन घटकों में श्रम का प्रमुख स्थान है, बेकारी की समस्या का अच्छा हल प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई तथा केन्द्रीय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री मोहन धारिया ने इस बात को पुन: स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार इस उद्योग के विकास को प्राथमिकता देना चाहती है।

भारत में हथकरघे से कपड़े बुनने की परम्परा सदियों पुरानी है। किसी जमाने में भारत के हथकरघों से बनी मलमल दुनिया को आश्चर्यचकित किए हुए थी, जिसको यूनान तथा रोम की सुन्दरियां शान से पहनती थीं। 'स्पिनिंग जेनी' तथा पावरलूम के आविष्कार ने भारतीय हथकरघे को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। आज फिर भारतीय हथकरघा नए रूप में उभरा है। आज हमारे बुनकर-शिल्पकार अपनी 'रंग-धारणा' तथा 'रूपांकन' योग्यता के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। कृषि के बाद हथकरघा सबसे अधिक संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस समय देश में अनुमानत: 38 लाख हथकरघे हैं जिनमें 35 लाख सूती कपड़े तथा शेष रेशमी, बनावटी-रेशम तथा ऊनी कपड़े तयार करने वाले करघे हैं। ये करघे सभी राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश निम्न राज्यों में हैं :—

राज्य	हथकरघों की संख्या (लाखों में)
आंध्र प्रदेश	5.93
असम	5.90
बिहार	2.07
गुजरात	0.34
कर्नाटक	1.37
केरल	0.71
मध्यप्रदेश	0.53
राजस्थान	1.42
महाराष्ट्र	1.85
मणिपुर	2.00
उड़ीसा	0.77
पंजाब	0.77
तमिलनाडु	5.50
त्रिपुरा	0.10
उत्तर प्रदेश	5.09
पश्चिम बंगाल	1.60

(स्रोत : इंडियन कोआपरेटिव रिव्यू, अप्रैल-जून, 1976)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश हथकरघे आंध्रप्रदेश, असम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में हैं। इनके बाद मणिपुर, बिहार, महाराष्ट्र आदि आतेहैं।

हमारा समस्त हथकरघा उद्योग 2 करोड़ लोगों को आजीविका देता है तथा समस्त वस्त्र उत्पादन का लगभग 1/4 इन्हीं के द्वारा किया जाता है। रेशमी कपड़ों का उत्पादन मात्र हथकरघों द्वारा ही किया जाता है। 1976 में हथकरघों द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन 233 करोड़ मीटर था तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह लक्ष्य 300 करोड़ मीटर रखा गया है।

विदेशों को

हथकरघों से बने हमारे माल के प्रमुख आयातकर्ता देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्वीडन, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया आदि आते हैं। हमारे हथकरघों के विभिन्न उत्पाद जैसे 'पैचवर्क', लुंगी तथा सारोंग, 'ब्लीडिंग-मद्रास,' कैप (सभी मद्रास हथकरघा उत्पाद), रेशमी साड़ियां तथा रेशम की बनी और चीजें (वाराणसी), दुसूती तथा हथकरघों द्वारा निर्मित वस्त्रों पर कलात्मक कढ़ाई (कश्मीर), बेडशीट तथा तौलिए (फरुखाबाद), वनस्पति छपाई तथा बंधेज (सांगानेर-बाड़मेर, जयपुर-कालाडेरा) विभिन्न देशों द्वारा आयात किए जाते हैं। 1976-77 के दौरान देश से निर्यात किए गए सूती कपड़ों में एक तिहाई से अधिक भाग हथकरघा क्षेत्र का था और निर्यात किए गए सिले-सिलाए कपड़ों में 60% से अधिक हथकरघे के कपड़े से तैयार किए गए थे। गत पांच वर्षों में हथकरघे द्वारा निर्मित कपड़ों के निर्यात इस प्रकार रहे—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1972-73	48.46
1973-74	89.58
1974-75	105.96
1975-76	162.00
1976-77	215.00

(स्रोत : उद्योग-व्यापार पत्रिका — अप्रैल-मई, 1977 **तथा जर्नल आफ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री — अक्तूबर** 1976)

लाखों को जीविका देने वाला हमारा हथकरघा उद्योग

उक्त तालिका से पता चलता है कि गत पांच वर्षों में निर्यात चौगुने से अधिक हो गया है। अनुमान है कि 1977-78 के दौरान हथकरघा वस्त्रों के निर्यात से 250% करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

समस्याएं और समाधान

हथकरघा उद्योग के अति प्राचीन होने के बावजूद भी इसे पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता। अभी तक इसकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका पूरी तरह निराकरण होना बाकी है। इसकी प्रमुख समस्याओं में कच्चे माल, धन और बिक्री की समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास तथा प्रभावहीन गुण नियंत्रण की समस्या मानी जा सकती है। कई मामलों में ऋण की सुविधाएं अधिक ब्याज की दर पर ही मिल पाती हैं। सहकारी समितियों के सदस्यों को जो धन साढ़े सात प्रतिशत ब्याज पर मिलता है, वह अन्य व्यक्ति 10% से से कम पर अन्य स्रोतों से प्रातः नहीं कर पाते। हथकरघे जैसे कुटीर उद्योग के विकास के लिए कम से कम दर पर साख सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

चूंकि अधिकांश हथकरघों के बुनकर गांवों में रहते हैं, उन्हें बाजार की स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती। यह हथकरघों के विकास के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। स्थायी रूप से सूत उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समय सूत की वार्षिक आवश्यकता लगभग 45 करोड़ किलो है, जिसमें से लगभग 21 करोड़ किलो स्थायी रूप से उपलब्ध हो जाता है तथा शेष 24 करोड़ किलो सूत की जरूरत बनी रहती है। केन्द्रीय सरकार के भरपूर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 हथकरघों की स्थापना के पश्चात कच्चे माल की जरूरत और बढ़ जाएगी। इसके लिए सहकारी कताई इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की मिलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

वृद्धि जरूरी

हथकरघों के लिए धन-व्यवस्था, बिक्री-व्यवस्था, हाट-अनुसंधान आदि के वास्ते सहकारी सीमा क्षेत्र को बढ़ाना होगा। वर्तमान में 30 प्रतिशत बुनकर सहकारी क्षेत्र में हैं, जिन्हें पांचवीं योजना के अंत तक बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हथकरघा उद्योग की समस्या को देखते हुए यह एक अनिवार्यता सी हो गई है। लेकिन यह भी नजरअंदाज

[शेष पृष्ठ 31 पर]

आठवीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

—वीरेन्द्र शुक्ल—

'खेलों को खेल की भावना से खेलो।' इसी सारगर्भित उक्ति से 1951 में नेशनल स्टेडियम में प्रथम एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ था। यहीं पिछले दिनों आठवीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। पर पांच दिवसीय देशव्यापी ग्रामीण खेलकूद में 'खेल भावना' का अभाव था, क्योंकि जिन स्वस्थ उद्देश्यों को सामने रखकर इन खेलों की शुरुआत की गई है, उसकी अवहेलना में खिलाड़ी से कहीं ज्यादा खेल अधिकारी तल्लीन थे। पहली बात तो यह कि जब इन खेलों में लड़कों के लिए 17 वर्ष और लड़कियों के लिए 15 वर्ष की आयु-सीमा रख दी गई है, तब खिलाड़ियों के अधिक उम्र के होने से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यही न कि इस अक्षम्य अपराध के पीछे खिलाड़ी भी दोषी हैं और उन्हें लाने वाले अधिकारी भी। या तो खिलाड़ियों में पदक पाने की लालसा रही होगी या फिर उन्हें लाने वाले अधिकारियों की यह मंशा कि उनके चलते हमारी टीम को विजय मिल जाएगी। इस दुर्भावना से बात बनती नहीं, बल्कि बिगड़ जाती है क्योंकि खेलों के मैदान में 'विजय' ही सब कुछ नहीं है। आप में खिलाड़ीपन और खिलाड़ी मन का कितना माद्दा है, यह भी उतनी ही जरूरी चीज है। खेलों में विजय पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना उनमें स्वस्थ ढंग से हिस्सा लेना है।

पांच दिवसीय (29 अक्तूबर से 2 नवम्बर) ग्रामीण खेलों के दौरान हास्यास्पद स्थिति तो तब उत्पन्न हो गई, जब चौथे दिन लड़कियों की शाट पुट स्पर्धा 12 पौंड वजनी गोले से करवा दी गई, जबकि उनके लिए 8 पौंड का गोला फेंकना निर्धारित है। नासमझ अधिकारियों ने तो बाकायदा स्पर्धा करवाकर उनकी पोजीशन का निर्णय भी कर लिया था। इस भयानक भूल का पता तो तब चला, जब एक टीम की महिला मैनेजर ने अपनी लड़कियों की शिकायत पर गोले को परखा। बहरहाल अधिकारियों की इन छोटी-मोटी भूलों को नजरअंदाज कर अगर खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन पर नजर दौड़ाई जाए, तो साफ पता चलता है कि खिलाड़ियों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। न उनमें प्रतिभा का अभाव है न सम्भावना का। कमी है तो बस खेल पर बेवजह बहस करने वाले खेल मठाधीशों की खेल-विषयक तन्मयता की। उनके पास न तो कोई ठोस योजना है, न ही खेलों के विकास की स्वस्थ भूख। पांच दिवसीय टूर्नामेंट के बाद 35 बालक और 30 बालिका हाकी खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। अगर केवल हाकी खिलाड़ियों को ही प्रशिक्षण के लिए चुनना था, तो फिर एथलेटिक्स और बास्केटबाल की प्रतियोगिताएं क्यों हुई? क्या इन खेलों में चमक सकने लायक लड़के-लड़कियां नजर नहीं आए? क्या अपने यहां खिलाड़ी लड़के-लड़कियों का अभाव है? जब एक बड़ी तादाद सामने है, तो फिर प्रतिभा का अभाव समझ से

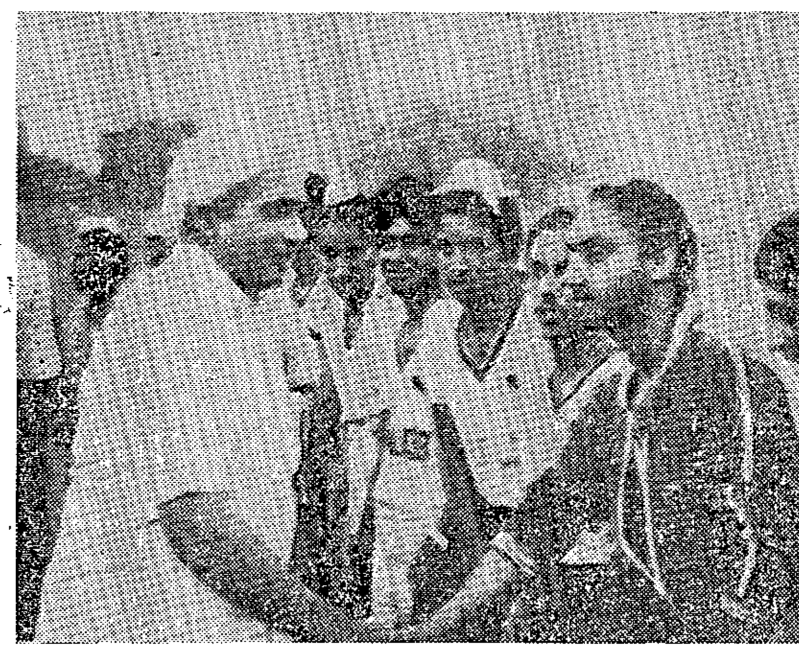

केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त हाकी चैम्पियन पंजाब टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए

परे वाली बात है। सवाल मेहनत और समर्पण की भावना का है और कमी बस इसी की है, तभी तो पुरस्कार समारोह के अवसर पर अपने आशीर्वचन में केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त ने कहा कि अपने यहां खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी है तो बस उन्हें 'कैच' करने वाली उन निगाहों और हाथों की जिन्हें या तो अनुभव ही नहीं है या फिर रास्ते में 'स्वार्थ' आड़े आता है। मंत्री महोदय ने तो साफ-साफ कहा कि 'हाकी' में हमारी पराजय के पीछे मूल कारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि वे स्वार्थी अधिकारी हैं, जिन्होंने खेल से ज्यादा अपने 'अहं' को सर्वोपरि माना। यही कारण है कि हमारी टीम मांट्रियल ओलम्पिक में बिखर कर खेली। एक टीम के रूप में अगर वह खेलती, तो 1975 में विश्व कप में विजयी टीम एक वर्ष बाद ही ओलम्पिक में सातवें स्थान पर न लुढ़क जाती। जब तक खेलों के भाग्य विधाता लोगों के मन स्वच्छ और कर्म साफ नहीं होंगे, ग्रामीण खेलों के आयोजन के पीछे छिपे महान उद्देश्यों की पूर्ति मृग-मरीचिका के समान साबित होगी।

ग्रामीण खेलों का उद्देश्य

ग्रामीण खेलों के आयोजन के पीछे यह उद्देश्य है कि दूर दराज के गांवों से आए खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर परखा जाए और होनहार खिलाड़ियों को पकड़कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैदानों के लिए तैयार किया जाए। ये आठवें ग्रामीण खेलों थे यानी इनका आयोजन 8 वर्षों से जारी है। जरा गम्भीरता से देखा जाए तो ग्रामीण खेलों ने देश को इन 8 वर्षों में कितने खिलाड़ी दिए हैं। जवाब होगा कि एक भी नहीं। फिर इन आयोजनों की सार्थकता क्या है? क्या मात्र खाना पूरी? कहने को तो भारत गांवों का देश है। देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। इतने बड़े गांव, फिर वहां से कुछ भी खिलाड़ी क्यों नहीं आते? ब्लाक, जिला स्तर पर तो कोई

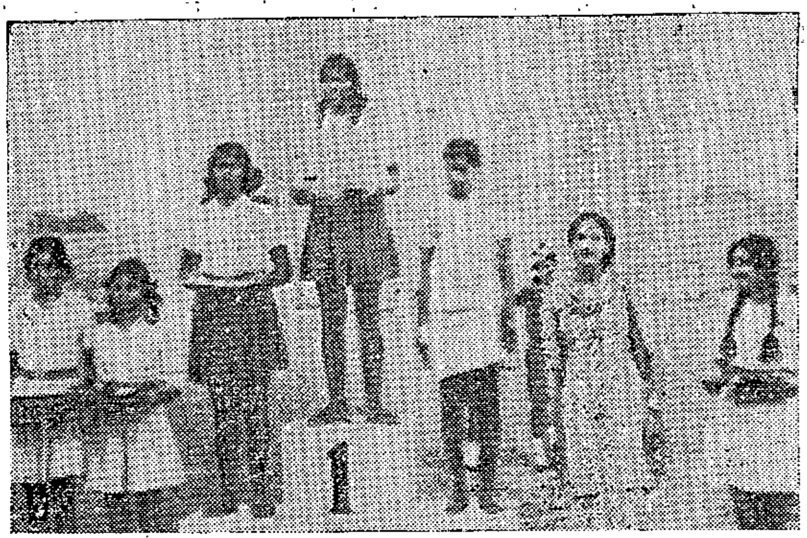

जेवलिन थ्रो की विजेता लड़कियां

मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहता। अगर यहीं से शुरूआत हो, तो बात बनेगी। ढेर सारे ऐसे गांव हैं, जहां के लड़कों में खेलने की लालसा तो है, पर वहां उनके लिए खेल सामान सुलभ नहीं।

15 और 17 वर्ष की आयु सीमा इसलिए है, क्योंकि यह कोई बड़ी उम्र नहीं होती है और खिलाड़ी को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा सकता है। अगर उम्र बड़ी होगी, तो सीखने की सम्भावना कम होगी और वह खिलाड़ी 'प्रदर्शन' भी उतना सटीक नहीं दे सकेगा, जितना एक ताजा दम लड़का दे सकने की क्षमता रखता है।

ग्रामीण खेलों की शुरुआत

अखिल भारतीय खेलकूद संघ की सिफारिश पर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण खेलों का शुभारम्भ 1970-71 से किया। तब से देखा जाए तो खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती ही गई है। पहले ग्रामीण खेलों में, जो 1971 में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में हुए थे, 6 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 239 खिलाड़ियों ने ही हिस्सा लिया था, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3 हजार तक पहुंच गई थी। खिलाड़ियों की बढ़ती अपार भीड़ को देखकर 4 ग्रुप बना दिए गए हैं क्योंकि एक साथ ढेर सारे लड़के-लड़कियों को लेकर ढेर सारी प्रतियोगिताएं आयोजित करना एक समस्या बन गई थी। यह निर्णय 1975-76 में लिया गया था। अब 4 ग्रुप बने हैं—ग्रुप (1) में जो 24 नवम्बर से 27 नवम्बर तक विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में होने थे, वहां कबड्डी, खो-खो और निशानेबाजी की प्रतियोगिता के साथ ही कुश्ती भी होती। ग्रुप (2) के खेलों में, जो नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुए (29 अक्तूबर से 2 नवम्बर), एथलेटिक्स, हाकी और बास्केटबाल की स्पर्धाएं हुईं। ग्रुप (3) में, जो अगले वर्ष (1978) जनवरी में नादिया (पश्चिमी बंगाल) में होंगे, वहां फुटबाल, वालीबाल और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं होंगी और ग्रुप (4) में तैराकी है।

नेशनल स्टेडियम में सम्पन्न एथलेटिक्स, बास्केटबाल और हाकी के मुकाबलों में आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गोआ, पांडेचेरि और दिल्ली के लगभग एक हजार खिलाड़ियों ने

हिस्सा लिया, जिनमें 349 लड़कियां थीं। 22 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश और पंजाब की टीमों में सर्वाधिक 80-80 खिलाड़ी थे तीन सदस्यीय सबसे छोटा दल पांडिचेरि का था।

मुख्यतः सभी प्रतियोगिताओं का स्थल तो नेशनल स्टेडियम ही था, लेकिन लड़कियों के बास्केटबाल के कुछ मैच राजघाट कोचिंग सेन्टर पर भी हुए। ग्रामीण खेलों का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री श्री धन्ना सिंह गुलशन ने किया।

एथलेटिक्स : पंजाब चोटी पर

जैसी की संभावना थी, पंजाब के एथलीट पहले दिन से ही विजयी होने का गौरव पाते रहे। और जब एथलेटिक्स के मुकाबले खत्म हुए, तो न केवल पंजाब के लड़कों की ही टीम चोटी पर थी, बल्कि लड़कियों ने भी अपने साथी लड़कों का अनुसरण कर प्रथम स्थान पाया। लड़कों में टीम चैम्पियनशिप हासिल करने वाली पंजाब टीम के जहां 97 अंक थे, वहीं द्वितीय स्थान पर पिछड़ने वाली बिहार टीम के 76 अंक थे। लड़कियों में पंजाबी बालाओं ने सर्वोच्च स्थान 54 अंकों से पाया, दूसरा स्थान तमिलनाडु का रहा (40 अंक)। यूं तो सैकड़ों की संख्या में एथलीट मैदान में थे, पर दो तीन एथलीटों ने सर्वाधिक प्रभावित किया। ये थे पंजाब का प्रेम सिंह और बिहार का अरविन्द पन्ना। लड़कियों में पंजाब की परमजीत कौर भी प्रतिभा सम्पन्न है। लम्बी दूरी के ये दोनों धावक भविष्य की आशा बन सकते हैं, बशर्ते उन पर अभी से निगाह रखी जाए।

लम्बी दूरी के इन दो धावकों ने जब भी मैदान में कदम रखा, तब इन्हीं दो के बीच जबरदस्त होड़ रहती थी। वैसे प्रेम सिंह के लिए तो ये मुकाबले सर्वोत्तम सफलता के सिद्ध हुए क्योंकि उसने तीन स्वर्ण पदक पाए। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रेम सिंह ने 3 और 10 हजार मीटर की स्पर्धा जीतने के बाद, अंतिम दिन 20 किलोमीटर की दौड़ में भी अपने को सर्वश्रेष्ठ धावक सिद्ध किया। यह दूरी प्रेम सिंह ने 1 घंटा 10 मिनट 4.4 सेकेंड में पूरी की। पहले दिन 10 हजार मीटर की दौड़

सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रेमसिंह

प्रेम सिंह ने रिकार्ड समय में पूरी की। प्रेम की 31 मिनट की टाइमिंग पिछले वर्ष स्थापित रिकार्ड से 1 मिनट 30 सेकेन्ड बेहतर रही, जिसे बिहार के भीम महतो ने रोपड़ में स्थापित किया था। 10 हजार मीटर में तीसरे स्थान पर पिछड़ने वाले बिहार के अरविंद पन्ना को अन्ततः 15 सौ मीटर में 'स्वर्ण पदक' का सुख प्राप्त हुआ। इसके पूर्व पन्ना 3 हजार मीटर में प्रेम सिंह के बाद दूसरे नम्बर पर था। 20 किलोमीटर में भी पन्ना को 'रजत पदक' से ही संतोष करना पड़ा।

परमजीत कौर ने लम्बी कूद और 800 मीटर की दौड़ में रिकार्ड समय से विजय हासिल की। परमजीत ने पहले लम्बी कूद में 4.79 मीटर की लम्बी कुदान से पूर्व रिकार्ड को 14 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। फिर 800 मीटर की दौड़ में उसने 2 मिनट 25.5 सेकेण्ड से रिकार्ड पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करवाया। पिछला कीर्तिमान बिहार की विजय नीलमणि का था। 800 मीटर की लड़कों की दौड़ बिहार के क्लावीर एक्सलो ने जीती।

लड़कों में जहां प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ तेज धावक होने का सम्मान पंजाब के गुरप्रीत सिंह ने पाया, वहीं लड़कियों में सबसे तेज धाविका तमिलनाडु की कुमारी आनन्दी थी। गुरप्रीत ने 100 मीटर की दूरी 11.8 सेकेन्ड में पूरी की और आनन्दी का समय 13.3 सेकेन्ड था। 100 मीटर की लड़कियों की स्पर्धा जीतने के साथ ही तमिलनाडु की लड़कियों ने 200 मीटर और शाटपुट में प्रथम स्थान पाया। 400 मीटर की लड़कों की दौड़ हरियाणा के अशोक यादव ने 53.8 सेकेण्ड से जीती। लड़-

विकलांगों को रोजगार

देश के छह राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने कुछ सार्वजनिक सेवाओं में विकलांगों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए हैं।

हाल ही में गोहाटी में विकलांगों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। अब तक देश के विभिन्न भागों में विकलांगों के लिए 17 विशेष रोजगार कार्यालय खोले जा चुके हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान 15,000 से अधिक विकलांगों को इन रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ है।

केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विकलांगों को रोजगार देने के लिए चलाई जाने वाली परियोजनाओं की कुल लागत का 90 प्रतिशत तक खर्चा देता है। विभाग ने राज्य सरकारों को भी दुकानें आदि देने के मामले में विकलांगों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है, ताकि वे अपनी रोजी-रोटी खुद कमा सकें।

कियों में पंजाब की इकबाल कौर ने 1.41 मीटर ऊंची कुदान भरकर नया रिकार्ड बनाया। 4×100 मीटर की रिले में पंजाब के धावकों ने 4 मिनट 23.6 सेकेन्ड से नया इतिहास रचा।

आंध्र प्रदेश विजयी

भले ही लड़कों के बास्केटबाल मुकाबले में पंजाब की टीम आंध्र प्रदेश के लड़कों से हार गई, लेकिन इस पराजय का बदला लड़कियों ने फाइनल में आंध्र की लड़कियों को हरा कर लिया। बास्केटबाल स्पर्धा में लड़कों में 12 और लड़कियों में 8 टीमों ने हिस्सा लिया।

लड़कों में आंध्र प्रदेश ने अपनी विजय का श्रीगणेश हिमाचल प्रदेश को 26 अंकों के मुकाबले 89 अंकों से हरा कर किया। पंजाब ने आसाम को 62—22 से हराया। लड़कियों में पंजाब ने मेघालय को 65—18 से और आंध्र की किशोरियों ने बिहारी लड़कियों को 76—16 से हराया। फाइनल में आंध्र प्रदेश के लड़कों ने पंजाब को 48—41 अंकों से कड़े मुकाबले में हराया। वैसे पूर्वार्द्ध तक पंजाब के खिलाड़ी अंकों की होड़ में आगे थे। आंध्र का आर० एन० राव स्कोर करने में सबसे आगे रहा। तीसरे स्थान की लड़ाई में हरियाणा ने राजस्थान को 82—57 से हराया। लड़कियों में पंजाब ने लड़कों की हार का बदला आंध्र को 30—18 से हरा कर लिया। मैच भी एकतरफा था, जिसमें हरप्रीत ने 16 और सिमरात पाल ने 11 अंक बनाए। गोआ ने मेघालय को को 35—28 से हराकर तीसरा स्थान पाया।

पंजाब-बिहार की टक्कर

एथलेटिक मुकाबलों की ही तरह हाकी में भी इन्हीं दो टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वन्द्विता थी। लड़कों के फाइनल में तो पंजाब के लड़कों ने शुरू में पिछड़ कर बाद में विजय का स्वाद चखा। लेकिन लड़कियों में बिहार की आदिवासी खिलाड़िनों के आगे पंजाबी लड़कियां हवा हो गईं। कहा जाए तो पंजाब की अप्रत्याशित हार हुई क्योंकि विजयी टीम पर पंजाबी बालाओं ने एक भी गोल कर दिखाने का साहस नहीं जुटाया, जबकि वे 6 गोल खा गईं और पिछले वर्ष की वे विजेता भी थीं।

भारतीय हाकी में जिस तरह पंजाब के संसारपुर गांव का नाम अमर हो चुका है, उसी तरह की संभावना बिहार के कोनारा गांव ने भी दिखलाई है। बिहार की टीम में 11 लड़कियों में से 7 इसी गांव की थीं। इस टीम की अधिकांश खिलाड़िनें आदिवासी इलाकों की थीं। खेल पर इन्हीं का दबाव सारे समय रहा। लड़कों की बिहारी टीम में भी आदिवासी खिलाड़ियों का बोल-बाला था। शुरू में तो उन्होंने एक गोल चढ़ाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया था, पर धीरे-धीरे पंजाबी लड़के खेल पर छा गए और उन्होंने अन्ततः 3—2 से हाकी सिरमौर जीत लिया। ●

[पृष्ठ 27 का शेषांश]

हथकरघा उद्योग : विकास की नई सम्भावनाएं

नहीं किया जाना चाहिए कि पहले से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत हथकरघों में से अधिकांश निष्क्रिय हैं तथा हथकरघों की मूलभूत आवश्यकताओं (धन, बिक्री तथा कच्चा माल) को पूरा कराने में समर्थ नहीं। अतः आवश्यकता एकीकृत सहकारी ढांचे की है जो कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की सभी जरूरतों को पूरा कर सके।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हथकरघों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गत वर्ष यह राशि 10 करोड़ रुपये थी। इस योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक कपड़ों (जैसे जनता साड़ियों तथा धोतियों) के उत्पादन को प्रोत्साहन तो दिया ही जाएगा, निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

आर० बी० एल० गर्ग

आदिवासियों की तरक्की में जुटी
दंतेवाड़ा आदिवासी विकास एजेन्सी

दंतेवाड़ा बस्तर जिले की एक छोटी-सी तहसील है, जिसका क्षेत्रफल 2203 वर्ग किलोमीटर है और जिसके करीब 79 फीसदी निवासी आदिवासी हैं। इसकी कुल आबादी करीब 1 लाख 75 हजार है। इस क्षेत्र की चौतरफा तरक्की के लिए भारत सरकार ने 1972 में एक आदिवासी विकास एजेन्सी कायम की। यह एजेन्सी इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की योजनाएं लागू करने, आदिवासियों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता देने, उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और ट्रेनिंग देने, उनके द्वारा पैदा की गई या बनाई गई चीजों की बिक्री का इंतजाम करने का काम करती है। ये सारे काम करने के लिए एजेन्सी को भारत सरकार से दो करोड़ रु० मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों के कामों को पूरा करने के लिए इसे 20 लाख रु० दिए हैं। इस एजेन्सी ने अपनी योजना में 34598 आदिवासी परिवार चुने हैं, जिनमें से अब तक 24522 परिवारों को आर्थिक सहायता का लाभ मिला है। यह विकास एजेन्सी अगले वर्ष तक काम करेगी।

बीज, खाद, दवाओं का इंतजाम

आदिवासी विकास एजेन्सी ने 8034 आदिवासी किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर 2753 क्विंटल बीज, 7901 किसानों को 75 फीसदी अनुदान पर 518 टन खाद, 3687 किसानों को सौ फीसदी अनुदान पर 71 टन यूरिआ और 1861 किसानों को सौ फीसदी अनुदान पर पौध संरक्षण की दवाइयां बांटी हैं।

आदिवासी किसानों को सुधरे हुए बीज काम में लाने की प्रेरणा देने के ख्याल से उन्हीं के खेतों पर खरीफ के 2899 और रबी के 569 प्रदर्शन-प्लाट डाले गए। इस क्षेत्र के आदिवासियों ने परियोजना से ही पहली बार रबी फसल लेना सीखा और इसके लिए उन्हें अनुदान पर सिंचाई पम्प भी दिए गए हैं। बागवानी के लिए भी आदिवासियों को अनुदान पर तरह-तरह के फलदार पेड़ों के 7992 पौधे बांटे गए हैं। इतना ही नहीं कुएं, पम्प, टारबांध, पशुपालन, जमीन को समतल करने, बीज, खाद, दवाइयों और मुर्गीपालन के लिए आदिवासियों को 50 से 100 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है।

परियोजना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गई हैं, जिनके पूरा होने पर 933 आदिवासी किसानों की 4716 एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। बिजली लग जाने से सिंचाई पम्पों की मांग बढ़ रही है और घरेलू और उद्योग सम्बन्धी कामों के लिए भी बिजली का उपयोग बढ़ रहा है।

पशुपालन और मुर्गीपालन

क्षेत्र के आदिवासियों की आमदनी बढ़े, इसके लिए पशुपालन, मुर्गीपालन और मछलीपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में 21 डेरियां कायम की गई हैं और दूध इकट्ठा करने और बेचने के लिए एक आदिमजाति सेवा सहकारी समिति बनाई गई है। परियोजना-क्षेत्र में पांच पशु प्रजनन केन्द्र भी खोले गए हैं। साथ ही 18 मुर्गीपालन यूनिट कायम किए गए हैं।

मछलीपालन के तहत 14 तालाबों में 262200 मछली के बीज इकट्ठा किए गए हैं और 22 आदिवासियों को 50 फीसदी अनुदान पर 37000 मछली के बीज बांटे गए हैं।

सहकारिता

आदिवासियों को शोषण से बचाने और आम जरूरत की चीजें वाजिब दाम पर मुहैया करने के लिए एक सहकारी मार्केटिंग सोसायटी गठित की गई है जो उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वाजिब भाव पर दिलाने के साथ-साथ गांवों में जा-जाकर उनकी खेती की उपज और वनोपज की खरीद का इंतजाम भी कर रही है। मार्केटिंग सोसायटी ने आदिवासियों से महुआ की खरीदी का काम एक अभियान के रूप में किया और भाव 25 रु० से बढ़ाकर 60 रु० क्विंटल करके 2030 क्विंटल महुआ की खरीद की और आदिवासियों को बिचौलियों के शोषण से बचाया।

सड़क और बिजली

आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए परियोजना क्षेत्र में 80 लाख रु० की लागत से तीन प्रमुख और चार सहायक सड़कें बनाई जा रही हैं।

क्षेत्र में बिजली का फैलाव करने के लिए दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा और बड़े तुमनार में ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। परियोजना क्षेत्र के आठ गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। इस योजना के लिए विद्युत मंडल को विकास एजेन्सी ने 15 लाख रु० और राज्य सरकार ने करीब 28 लाख रु० दिए हैं।

क्षेत्र में 10 खादी-ग्रामोद्योग सेवा केन्द्र भी कायम किए गए हैं।

आदिवासी विकास एजेन्सी ने अब तक विभिन्न योजनाओं पर 1 करोड़ 36 लाख 75 हजार रु० खर्च किए हैं। ●

नया साहित्य

सरल वाक्यांश (मूल्य 4 रु०), अर्द्धकरण एवं द्विगुणन सिद्धांत (मूल्य 1 रु० 25 पैसे), उपसर्ग एवं प्रत्यय (मूल्य 1 रु० 25 पैसे) : तीनों पुस्तकों के लेखक और प्रकाशक श्री गोपाल दत्त बिष्ट, जनकपुरी, नई दिल्ली।

हिन्दी आशुलिपि के इतिहास में पहली बार 3 पुस्तकों का एक साथ प्रकाशन हुआ है जो आशुलिपिकों के मार्गदर्शन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। भिन्न-भिन्न प्रणालियों के चलन के बावजूद भी लेखक का यह प्रयास स्वागत योग्य है कि इन पुस्तकों को सभी के लिए उपयोगी बनाया गया है और कुछ शब्द-चिह्न या वाक्यांश भिन्न-भिन्न प्रणालियों के लोग लम्बे अभ्यास के कारण नहीं अपना सकेंगे, उनको 80 प्रतिशत वाक्यांश ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें वे सरलता से ग्रहण कर सकेंगे। इनसे उनको वाक्यांशों की उपयुक्तता भी मालूम होगी।

सरल वाक्यांश पुस्तक में 752 सरल वाक्यांश दिए गए हैं जो रेखाक्षरों को मिलाने से बनाए गए हैं। इनसे आशुलेखन न केवल सरल अपितु स्पष्ट एवं सुविधाजनक भी हो गया है। पुस्तक में दिए गए वाक्यांशों के प्रयोग के लिए 10 गति अभ्यास 180 शब्द प्रति मिनट तक के दिए गए हैं जिनसे आशुलिपिकों को अपनी गति वृद्धि का आभास हो सकेगा। वाक्यांशों को मोटी टाइप में कंपोज किया गया है। पुस्तक की छपाई, डिजाइन आदि अत्यंत सुन्दर एवं स्पष्ट हैं जो पुस्तक के साधिकार होने की पुष्टि करते हैं। आशुलिपिकों को इन दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्यांशों से सहायता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं।

अर्द्धकरण एवं द्विगुणन सिद्धांत पुस्तक में रेखाक्षरों को आधा तथा दुगुना करने से बनने वाले वाक्यांश दिए गए हैं जिनसे गतिलेखन में निस्सन्देह सहायता मिलेगी। वाक्यांशों को लेखक ने स्वयं उच्च गतियों पर परीक्षित किया है और दैनिक उपयोग में आने वाले ही वाक्यांश दिए गए हैं।

उपसर्ग एवं प्रत्यय पुस्तक में उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग बतलाया गया है। 'अ' का 'स्वर' तथा 'उपसर्ग' के रूप में भाषा की तरह वैज्ञानिक प्रयोग बताया गया है जो आशुलिपिकों को रेखाक्षरों या शब्द-चिह्नों को रटने अथवा भ्रांति में पड़ने से मुक्ति दिलाएगा। इसी प्रकार अन्य रेखाक्षरों का उपसर्ग एवं प्रत्यय के रूप में प्रयोग समझाकर एक वैज्ञानिक आधार आशुलिपिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर यह प्रयास एक नई दिशा देता है।

शिव प्रकाश अग्रवाल

खादी ग्रामोद्योग : वार्षिकांक (विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था—सिद्धांत और व्यवहार) : अक्तूबर, 1977; प्रकाशक—खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई; पृष्ठ 98 : मूल्य 5.00 रु०।

खादी ग्रामोद्योग पत्रिका के वार्षिकांक के तीन निबंध विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। सभी सम्बन्धित लेखक ऐसी तकनीक का समर्थन करते हैं जो आम किसान द्वारा आसानी से प्रयुक्त की जा सके। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई विश्लेषण नहीं मिलता कि आधुनिक तकनीक, जिसके अन्तर्गत हरित क्रान्ति व श्वेत क्रान्ति की बात की जाती है, को किस प्रकार आम किसान से जोड़ा जा सकता है।

एक अन्य निबन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार ने औद्योगिक व वित्तीय घरानों पर यह उत्तरदायित्व डाला कि वे प्रौद्योगिकी को आम किसानों तक पहुंचाएं। परन्तु उन्होंने इस प्रश्न का समाधान नहीं किया कि क्या व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से काम करने वाला पूंजीपति-वर्ग ऐसा करेगा?

प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तीसरा निबन्ध श्री वेपा का है जो इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हैं। उनका यह विचार सही है कि "विकासशील देशों की अनुसन्धान संस्थाओं में ऐसी तकनीकों का विकास हो रहा है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दी जा रही है।" ये तकनीकें न सिर्फ सरल हैं वरन इन देशों की स्थानीय प्रकृति के अनुरूप भी हैं। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के विकास में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। यह निबन्ध विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास व उसके फैलाव पर नया दृष्टि बोध देता है। लेखक का प्रयास सराहनीय है।

ग्रामीण विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से सम्बन्धित दो निबन्ध इस अंक में संकलित हैं। श्री भावे का निबन्ध एक अच्छा प्रयास है परन्तु इसमें राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख नहीं के बराबर है। नीति विश्लेषण की दृष्टि से श्री तैन्नी का निबन्ध एक सबल रचना है।

अन्य निबन्धों में ग्रामीण बिजलीकरण निगम की भूमिका, खादी और ग्रामोद्योग, गांधीजी का दृष्टिकोण आदि पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। श्री चार्ल्स का निबन्ध सैद्धान्तिक विश्लेषण की दृष्टि से बहुत अच्छा है।

कुल मिलाकर अधिकांश निबन्ध चिन्तन को नई दिशा देने के बजाय पुरानी बातें ही दोहराते हैं। संपादकीय अवश्य सारगर्भित है।

-प्रदीप कुमार मेहता

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।

Regd. No. D(D)/98

हथकरघा उद्योग लाखों को रोज़ी-रोटी देता है